खण्ड-381, अंक-9
बुधवार, 24 आषाढ़, शक संवत् 1909
(15 जुलाई, 1987 ई0)

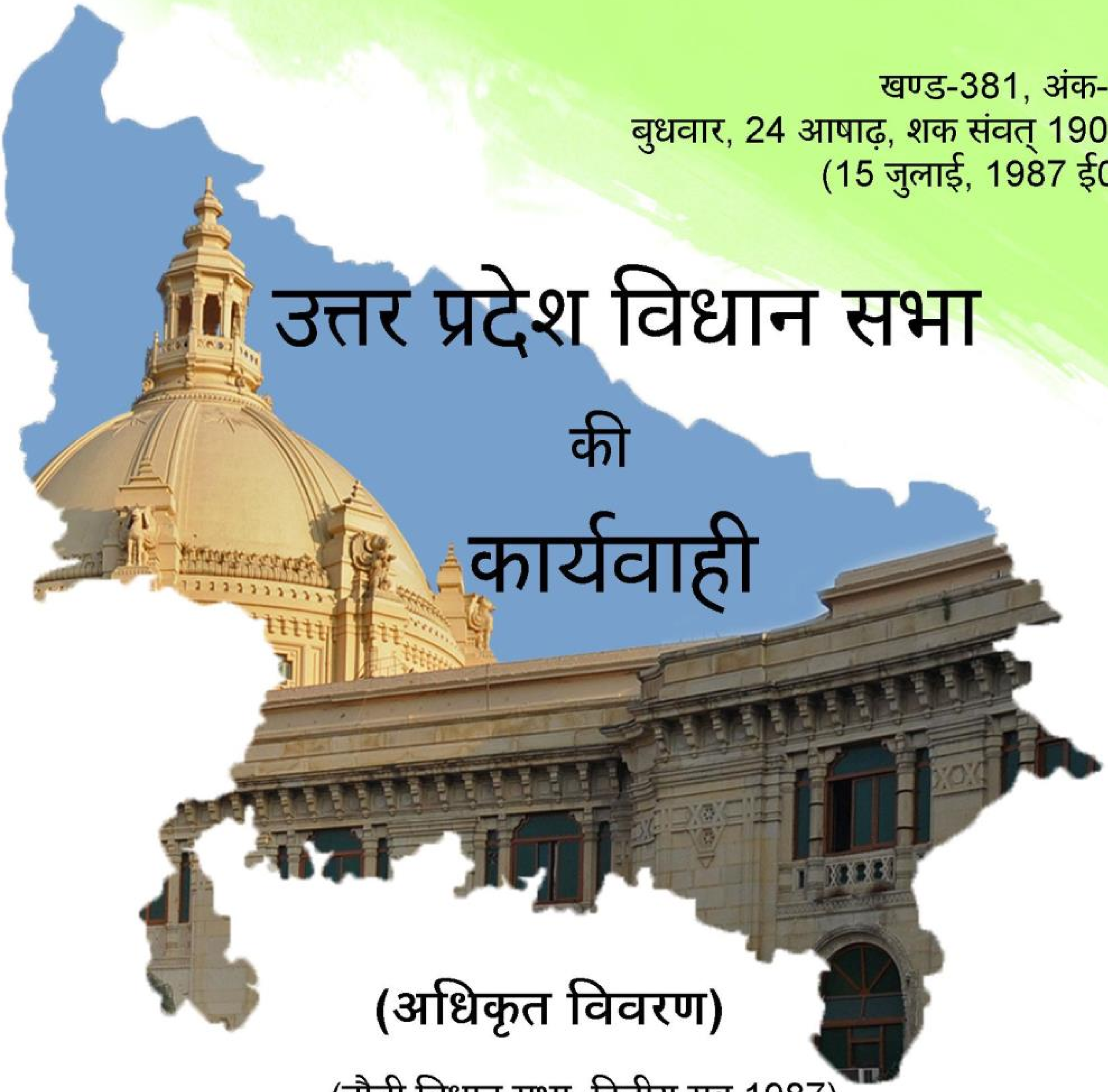

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–44
नियमों को निलम्बित करके प्रदेश में सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा कराए जाने की मांग	44–50
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	51
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	51
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1987 (राज्यपाल अनुमति की घोषणा)	51
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित किया गया)	51
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	52
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में मांगों के लिए मतदान—अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	52–54
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	54
इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग खण्ड रूरल टेक्नालाजी की यूनिटों बन्द किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	54–55
प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लगे इंडिया मार्क–2 वाले हैन्ड पम्पों की मरम्मत के सम्बन्ध में वक्तव्य	56–57
नत्थियां	58–59

संसदीय प्रलेख संग्रह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अकबर अहमद डम्पी, श्री	नैनीताल	देवेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	धनराज यादव, श्री	बस्ती
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
अमरनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	परमाई लाल, श्री	हरदोई
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
आर0एन0 पाठक, श्री	कानपुर	प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
औसान सिंह, श्री	इटावा	बंशीधर राज, श्री	खीरी
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	बालेश्वर, श्री	देवरिया
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री	बुलन्दशहर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
दिनश जौहरी, डा0	बरेली	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	मानवेन्द्र सिंह, कुंवर	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
दूधनाथ,श्री	जौनपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
मोहम्मद उमर, डा0	गोण्डा
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
रघुवर दयाल वर्मा, श्री	आगरा
रणजीत ,श्री	देवरिया
रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र, उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री	फैजाबाद
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र शर्मा, श्री	वाराणसी
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रीना कुमार, श्रीमती	मुरादाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती,	बलिया
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद विन्द, श्री	वाराणसी
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सन्तन बड़थवाल, श्री	चमोली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हृदय नारायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की छोटी नदियों के बरसाती जल को रोक कर असिंचित क्षेत्रों को सींचने की योजना

*1—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की छोटी नदियों के बरसाती जल को रोक कर असिंचित शुष्क कृषि क्षेत्रों को उस जल से सींचने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

प्रदेश की छोटी नदियों के बरसाती जल को रोक कर उससे असिंचित क्षेत्रों को सींचने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री हर्ष वर्धन—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

आबकारी विभाग के ठेके नीलामी में अनियमितता

*2—श्री नरेश चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद में वर्ष 1987 के लिए आबकारी विभाग द्वारा जो ठेके नीलाम किये गये हैं उनमें घोर अनियमितताएं हुई हैं क्योंकि दिनांक 19-3-87 को जब नीलाम हुआ तब आखिरी बोली जिस व्यक्ति ने 7 करोड़ 4 लाख की बोली, उसको इसलिये नहीं दिया गया कि कीमत कम है पर दिनांक 30-3-87 को वही नीलाम 6 करोड़ 60 लाख पर छोड़ दिया गया? यदि हां, तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मुख्यमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी नहीं।

जनपद लखनऊ में वर्ष 1987-88 के लिए देशी शराब की नीलामी दिनांक 19-3-87 को पूरे जनपद के लिए 7,04,00,000 रुपये की बोली आयी थी किन्तु बोली देने वाले व्यक्तियों द्वारा स्थल पर पर्याप्त हैसियत प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत न किये जाने के कारण उनकी बोलियां रद्द करनी पड़ी जो पूर्णतया नियमानुकूल था और नीलामी की अगली तिथि 26-3-87 के लिए निर्धारित की गयी किन्तु इस दिन कोई बोली न आने पर नीलामी की तिथि पुनः 29-3-87 के लिए निर्धारित की गयी। इस दिन की नीलामी भरसक प्रयास के बावजूद 6,64,75,000 रु0 की सर्वाधिक बोली आयी और बोली देने वालों ने नियमानुसार उपयुक्त हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये और उनकी बोलियों को अन्तरिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया।

नीलाम की कार्यवाही नियमानुसार की गयी। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र रायबरेली रोड उतरेटिया में जल भराव समस्या विषय पत्र पर कृत कार्यवाही

*1—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र रायबरेली रोड, उतरेटिया में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में तत्कालीन नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव) के पत्र के साथ संलग्न, प्रबन्धक एवं अन्य निवासियों का पत्र दिनांक 9-7-87 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो छात्रों की समस्याओं को देखते हुए जल निकासी हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार अविलम्ब जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

झांसी के ग्राम डिकोली के पास बेतवा नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्ताव

*1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी जिले के बेतवा नदी पर ग्राम डिकोली के पास लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कराया गया था? यदि हां, तो इस योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्या शासन तुरन्त सर्वेक्षण कराकर डिकोली लिफ्ट नहर योजना पर विचार कर इसे कार्यान्वित करायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, 10 क्यूसेक्स क्षमता की पम्प नहर के लिए सर्वेक्षण किया गया था।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 25 क्यूसेक्स क्षमता से कम की नहरें बनाये जाने के आदेश नहीं हैं। इसलिए कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*3—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ0 प्र0 हथकरघा निगम के कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*4—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा विगत 8 दिसम्बर, 1985 को उ0 प्र0 हथकरघा निगम में कार्यरत एक परियोजना अधिकारी, 2 वरिष्ठ मार्केटिंग मैनेजर तथा 24 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम क्या हैं और सेवायें समाप्त करने की तिथि क्या है तथा इन पर किन-किन अनियमितताओं के आरोप थे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 8 दिसम्बर, 1985 को एक प्रेस सम्मेलन में हथकरघा निगम के 3 अधिकारियों एवं 26 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किए जाने की घोषणा की थी।

विवरण संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दिया गया है।

(देखिये नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 58—59 पर)

आगरा शहर की जलापूर्ति परियोजना

*5—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रीष्म काल में आगरा शहर की पेयजल आपूर्ति समस्या निवारणार्थ चम्बल नदी के जल को जमुना नदी में डालकर जलापूर्ति की कोई परियोजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूर्ण कर कार्यान्वित करा दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*6—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[दिनांक 8-7-87 को ता0 प्र0 सं0 9 द्वारा उत्तरित]

जौनपुर जनपद का औद्योगिक विकास

*7—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसके औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जनपद जौनपुर के औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा जनपद में 25% केन्द्रीय पूंजी उत्पादन का लाभ अनुमन्य कराया गया है। उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग 6 करोड़ की लागत से 509 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है जिसमें 40 एकड़ भूमि उद्यमियों को आवंटित की गयी है तथा जिसमें प्रेशर-कुकर एप्लाइन्सेज लि0 की परियोजना प्रमुख है।

इसके अतिरिक्त पिकअप द्वारा जनपद में रु0 65 करोड़ की लागत से जेली फिल्ड कम्न्युकेशन केबुल्स की परियोजना संयुक्त क्षेत्र में लगाई जा रही है। इन योजनाओं से जनपद के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*8—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

आबकारी विभाग के ताड़ी सुपरवाइजरों की प्रोन्नति

*9—श्री शारदा प्रताप—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करीब 10 वर्षों से ताड़ी सुपरवाइजरों की प्रोन्नति आबकारी निरीक्षक या उप आबकारी निरीक्षक पद पर न किये जाने का क्या कारण है और पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही नहीं है कि लगभग 10 वर्षों से ताड़ी सुपरवाइजरों की प्रोन्नति आबकारी निरीक्षक या उप आबकारी निरीक्षक के पद पर नहीं की गई है। पिछले 10 वर्षों में दो स्थायी ताड़ी सुपरवाइजर आबकारी निरीक्षक के पद पर तथा एक ताड़ी सुपरवाइजर उप आबकारी निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये गये हैं।

*10—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

*12—श्री किशन सिंह तड़ागी—

[12वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*13—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मैनपुरी जनपद के भांवत पुल का निर्माण कार्य

*14—श्री शिवबख्श सिंह राठौर—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि लोअर गंगा नहर कानपुर वाली नहर का जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत भांवत वाला पुल 3 वर्ष से टूटा पड़ा है जिसके कारण किसानों की उपज मैनपुरी मण्डी में नहीं पहुंच पाती है तथा विद्यार्थियों, मरीजों, महिलाओं और न्यायालय से सम्बन्धित व्यक्तियों को मैनपुरी पहुंचने में घोर परेशानी उठानी पड़ती है? क्या मंत्री महोदय को यह भी ज्ञात है कि भांवत पुल के निर्माण का कार्य सेतु निगम को दे दिया गया है और उसके लिए धन का भी प्राविधान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के निर्माण का कार्य क्यों रुका है और कब से यह निर्माण कार्य चालू होगा और कब तक पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण होगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जनता को नहर पार कराने के लिए नाव का प्रबन्ध कर दिया गया है।

जी हां।

भांवत पुल का निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही सेतु निगम द्वारा शुरू कर दी गई है और पुल के निर्माण के लिए नींव की खुदाई का कार्य वर्षा ऋतु के बाद किया जायेगा। यह कार्य वर्ष 1988-89 में पूर्ण होने की आशा है।

*15—श्री राम आसरे वर्मा—

[6वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया जनपद के कतिपय ग्रामों को गंगा की कटान से खतरा

*16—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि बलिया जनपद के पूर्वान्चल में शरया मझौवा पंचरुखियां नरदरा मुसौला में गंगा नदी की कटान से खतरा व्याप्त है ? यदि हां, तो कटान रोकने का क्या उपाय हो रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित सभी ग्राम बांध व नदी के बीच स्थित है। नदी भ्रमण क्षेत्रों में बसे ग्रामों की सुरक्षा प्रदान करना तकनीकी दृष्टि से एवं शासन की नीति के अनुसार संभव नहीं है।

आगरा जनपद के फिरोजाबाद क्षेत्र में स्थित राजकीय नलकूपों की गूल तथा नाली

*17—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के फिरोजाबाद क्षेत्र में स्थित राजकीय नलकूपों में से 80 प्रतिशत राजकीय नलकूपों की गूल और नाली टूटी फूटी पड़ी है जिससे काश्तकारों के खेतों में सिंचाई का पानी नलकूप के कमाण्ड एरिया में नहीं मिल सका तथा खेत सूख रहे हैं? यदि हां, तो नाली और गूलों को अब तक ठीक न कराने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आगरा के फिरोजाबाद क्षेत्र में दिनांक 1-4-1987 को कार्यरत 50 राजकीय नलकूपों में से 16 नलकूपों की गूलें आंशिक रूप से कहीं-कहीं पर टूटी हैं। इन 16 नलकूपों पर नलकूपों से पानी न मिलने से फसल सूखने की कोई सूचना नहीं है। नलकूपों की टूटी नाली की मरम्मत हेतु आदेश दे दिये गये हैं। धनाभाव के कारण मरम्मत नहीं कराई जा सकी थी।

टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन टिहरी बांध की रिपोर्ट

*18—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन टिहरी बांध के लिए प्रथम रिपोर्ट कब सरकार को प्राप्त हुई थी? इन रिपोर्टों के आधार पर कितनी-कितनी अनुमानित धनराशि का खर्च व्यय हेतु आवंटित किया गया था? इस निर्माण कार्य में दिनांक 15-1-86 तक कितनी धनराशि किन-किन मुख्य मदों में खर्च हो गयी थी और निर्माण कार्य पूरा होने तक कितनी धनराशि व्यय होनी है? सरकार ने इस बांध को कब तक अंतिम रूप से तैयार कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

टिहरी बांध की प्रथम प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ष 1969 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई थी। जिसकी कुल अनुमानित लागत 197.92 करोड़ थी।

उपरोक्त के आधार पर 197.92 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1976 में दी गई एवं वर्ष 1986-87 तक व्यय हेतु 237.99 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध हुई।

निर्माण कार्यों पर व्यय केवल मासिक रखा जाता है। माह 12/85 तक टेहरी बांध परियोजना प्रथम चरण के मुख्य मदों पर निम्न प्रकार खर्चा हुए हैं एवं निर्माण कार्य पूरा होने तक अनुमानित व्यय होने वाली धनराशि निम्न प्रकार है :–

(लाख रुपयों में)

क्रम-सं0	मुख्य मद	माह 12/85 तक व्यय	कुल अनुमानित व्यय
1	अनुसन्धान काय	173.58	1490.00
2	भूमि व पुनर्वास ..	3260.04	15920.00
3	मुख्य कार्य ..	10646.542	66758.00
4	भवन निर्माण ..	753.30	5855.00
5	प्लान्टेशन ..	2.12	42.00
	ओ-मिसलेनियस ..	384.30	5163.00
7	पी-मेंटीनेन्स ..	123.227	1102.00
8	क्यू स्पेशल टूल्स एण्ड प्लान्ट ..	1535.755	5100.00
9	ओ-कम्यूनिकेशन ..	377.464	809.00
10	सोयल कन्जरवेशन ..	55.00	2468.00
11	पावर प्लान्ट व इलेक्ट्रिक सिस्टम ..	..	22319.00
12	स्टाक पर हानियां ..	..	205.00
	कुल ..	17311.328	127231.00
	ओवर हेड आदि ..	2278.00	7331.00
	महा योग ..	19589.328	134562.00

टेहरी बांध को वर्ष 1996 तक पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है।

मेसर्स वेस्पा कार कम्पनी रायबरेली को आवंटित भूमि की दर

*19–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में मेसर्स वेस्पा कार कम्पनी को उनके कारखाने के लिए किस दर पर भूमि आवंटित की गई थी? क्या कम्पनी ने उस सम्बन्ध में कोई अनुबन्ध किया था? यदि हां, तो क्या? क्या इस अनुबन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त संशोधन से प्रदेश सरकार को लगभग 8 करोड़ रुपये की हानि होगी? यदि हां, तो संशोधन का क्या कारण है?

श्री बीर बहादुर सिंह–

मेसर्स वेस्पा कार कम्पनी लि0 को उनके कारखाने के लिए बगहा (सलोन) जिला रायबरेली में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 67 एकड़ भूमि रु0 20/- प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गई।

तद्नुसार कम्पनी के साथ दिनांक 24-6-85 को एक अनुबन्ध किया गया। बाद में 24 एकड़ अतिरिक्त भूमि का आवंटन पूर्व निर्धारित शर्तों पर इकाई को किया गया।

मेसर्स वेस्पा कार कम्पनी लि0 द्वारा भूमि के मूल्य में संशोधन करने का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था। यह मामला निगम को संदर्भित किया गया है।

जी नहीं।

*20–श्री राम नरेश यादव–

[दिनांक 1-7-87 को अता0 प्र0 सं0 46 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद में सरयू नदी के तट पर स्थित ऋंगी ऋषि आश्रम तथा ऋंगी ऋषि समाधि के जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण

1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में मया ब्लाक में सरयू नदी के तट पर स्थित ऋंगी ऋषि आश्रम तथा कटेहरी ब्लाक में तमसा नदी के तट पर स्थित श्रवण क्षेत्र को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जी हां। जनपद फैजाबाद में सरयू नदी के तट पर स्थित ऋंगी ऋषि आश्रम में ऋंगी ऋषि के समाधि के जीर्णोद्धार तथा सौन्दर्यीकरण की योजना कार्यान्वित किये जाने हेतु रु0 4.32 लाख स्वीकृत किया है।

फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में तमसा नदी के तट पर श्रवण क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

धन उपलब्धता के आधार पर कार्यपूर्ति सम्भव होगी।

2–श्री जनार्दन प्रसाद झा–

[7वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मोहनापुर, टोला बलुआहीया, गोरखपुर में एक अर्ध निर्मित पुल

3–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के ज0 हकीम न0 2 ग्राम मोहनापुर टोला बलुआहीया में एक पुल अर्ध निर्मित हालत में कई वर्षों से पड़ा हुआ है, जिसका निर्माण गण्डक नहर निर्माण खण्ड–6 देवरिया द्वारा कुछ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था और केवल तीन खम्भे और दोनों ओर के रैम्प का निर्माण कर

कार्य को बन्द कर दिया गया है, जिसमें से एक बीच वाला खम्भा गिर भी चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अर्द्ध निर्मित पुल का निर्माण शीघ्र पूरा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्नगत पुल का निर्माण सिरसिया ड्रेन के कि0 मी0 1–36 पर वर्ष 1978-79 में आरम्भ किया गया था जो अभी अपूर्ण है। उक्त पुल के दोनों एबटमेन्ट, पीयर तथा रैम्प का निर्माण किया गया था। निर्मित पीयर वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। इस कार्य के बारे में जांच कराई जा रही है। इस कार्य को अब जून, 1988 तक पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

पिपराइच विधान सभा गोरखपुर में नहरों के किनारे की पटरियों पर खड़न्जा लगाने की मांग

4–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा में सिंचाई की मुख्य साधन नहरें हैं और इन नहरों की पटरियों पर खड़न्जा इत्यादि की आवश्यकता है? वर्ष 1985-86 में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में धन के अभाव के कारण नहर सम्बन्धी कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 1986-87 में नहरों की पटरियों पर खड़न्जा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया में स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत रोजगार देने का लक्ष्य

5–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में जनपद देवरिया में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार देने का क्या लक्ष्य निर्धारित था और उसे पूरा न करने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद-देवरिया में स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1984-85 में 1125 तथा वर्ष 1985-86 में 935 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अभ्यर्थियों द्वारा वांछित कागजात समयानुसार प्रस्तुत न करने तथा निर्धारित अर्हताएं न होने के कारण निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

6 से 8–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

क्षेत्र एतमादपुर, आगरा में कतिपय नाले की खुदाई तथा सफाई पर व्यय धनराशि

9–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र एतमादपुर, आगरा में वर्ष 1985-86 व वर्ष 86-87 में बिरूनी खांडा नाले की खुदाई तथा चूहरपुर,

नगला सिरजी व इमलिया सूरज की नालों की सफाई में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? क्या यह सच है कि सफाई सिर्फ कागजों में ही पूरी की गई है और मौके पर कार्य नाम मात्र का ही हुआ है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त दोनों वर्षों में किये गये कार्यों की सत्यता की मौके पर जांच जनता के बीच में कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ के पशु चिकित्सा केन्द्रों पर पशु चिकित्सकों को निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहने का निर्देश

10–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पशुधन मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के किन-किन पशु चिकित्सा केन्द्रों में पशुचिकित्सकों को नियमित रूप से रहना आवश्यक है? क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पशु चिकित्सक अपने चिकित्सालयों में उपस्थित रहा करें? यदि नहीं, तो क्यों?

पशुधन राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जनपद पिथौरागढ़ के सभी पशु चिकित्सा केन्द्रों में पशुधन विकास अधिकारियों को नियमित रूप से रहना आवश्यक है।

सभी पशुधन विकास अधिकारियों को पशु चिकित्सालयों पर नियमित रूप से निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहने के निर्देश हैं।

खुर्जा पाटरी उद्योग केन्द्र बुलन्दशहर को वर्षवार आवंटित कोयला

11–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुर्जा पाटरी उद्योग केन्द्र, जनपद बुलन्दशहर की प्रत्येक पाटरी को निदेशक उद्योग द्वारा कितने टन कोयला प्रति वर्ष आवंटन करने की क्या नीति है, प्रति वर्ष प्रत्येक फैक्ट्री का क्या उत्पादन है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा पाटरी उद्योग केन्द्र के नाम से कोई भी इकाई अथवा संस्था नहीं है। वैसे बुलन्दशहर में पाटरी बनाने वाली इकाईयों को नीति के अनुसार जो कोयले का आवंटन गत वर्षों में हुआ है, उसका रेंज 22 मे0 टन से 2880 मे0 टन है।

वर्तमान नीति के अनुसार क्षमता के 25 प्रतिशत व उत्पादन के 75 प्रतिशत के अंश को जोड़कर 20 प्रतिशत कोल डस्ट एलाउन्स का समावेश करते हुए इन्टाइटिलमेन्ट निकाला जाता है। पाटरी उद्योग की ऐसी इकाइयां जिनके यहां डाउन ड्राफ्ट किल्न स्थापित हैं, को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत कोल डस्ट एलाउन्स दिया जाता है। इस प्रकार गणना के उपरान्त राज्य की निर्धारित सीमा के अनुसार सामान्य कैप लगाकर आवंटन होता है।

फैक्ट्री का उत्पादन रु0 4,000 से लेकर रु0 33,00,000 तक हुआ है।

12—श्री शारदा प्रताप—

[दिनांक 13-9-84 को अता0 प्र0 सं0 106 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार, फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता हरीनगर, लखनऊ को फ्री सेल मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

13—श्री शारदा प्रताप—

द्वितीय सत्र 1985 के 6ठें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेश चन्द्र, विधायक, लखनऊ ने उनको एक पत्र दिनांक 14-6-85 को लिखा था जिसे उन्होंने पत्र दिनांक 15-6-85 द्वारा संख्या 3465/वी0 आई0 पी0 जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा था तथा दूसरा पत्र दि0 17-7-85 जिसे पत्र सं0 512/वी0 आई0 पी0 दिनांक 19-7-85 द्वारा भेजा गया था? यदि हां, तो क्या उक्त पत्रों में दिए गये आदेशों का अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

श्री हुकुम सिंह—

श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता हरीनगर लखनऊ को अपर जिला मैजिस्ट्रेट (आपूर्ति) लखनऊ द्वारा दिनांक 10-1-85 को चैम्बर प्वाइंट स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश के पालन कराये जाने तथा उसे 15000 लीटर मिट्टी तेल फ्री सेल के लिए उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय श्री नरेश चन्द्र सदस्य, विधान सभा का एक पत्र तत्कालीन खाद्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिस पर तत्कालीन खाद्य मंत्री जी ने जिलाधिकारी, लखनऊ को "कृपया व्यवस्था हेतु देखें" दिनांक 14-6-85 को आदेश दिये थे। उक्त पत्र उनके कार्यालय के रजिस्टर संख्या—365/वी0 आई0 पी0/खा0 म0/198, दिनांक 15-6-85 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया था। माननीय श्री नरेश चन्द्र जी के दूसरे पत्र दिनांक 17-7-85 के प्राप्त होने की कोई सूचना जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती राजकुमारी, मिट्टी तेल फुटकर विक्रेता, द्वारा कोई उपयुक्त व्यापारिक स्थल का प्रबन्ध न किये जाने के कारण वांछित मिट्टी तेल की सप्लाई की व्यवस्था नहीं हो सकी। जहां तक मिट्टी तेल के फ्रीसेल का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश, 1962 के अन्तर्गत मिट्टी तेल के फ्रीसेल का कोई प्राविधान नहीं है।

14—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

राजपुर ड्रेन, चिलबिलवा, जनपद गोरखपुर के कारण बरसाती पानी खेतों में आ जाने से अवैध परताल समाप्त करने की मांग

15—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड भटहट, जनपद गोरखपुर के ग्राम चिलबिलवा में राजपुर ड्रेन द्वारा बरसात का पानी खेतों में आ जाने के कारण

खेतों का परताल कर लिया गया है ?यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर खेत के परताल को समाप्त करा कर किसानों को कठिनाई से बचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में वर्ष/फसल विशेष का उल्लेख नहीं है फसल खरीफ 1394 फसली में ग्राम चिलबिलवा में सिंचाई के किसी संसाधन से कोई क्षेत्र अंकित नहीं किया गया है । इसलिए जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 एस0 एन0 सिंह, पशुधन विकास अधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की कार्यवाही

16—श्री अफजाल अंसारी—

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला पशुधन अधिकारी, आजमगढ़ ने उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को माह फरवरी एवं मार्च, 86 में कोई पत्र इस आशय का लिखा था कि वह डाक्टर एस0 एन0 सिंह, पशुधन विकास अधिकारी, सदर, आजमगढ़ का केन्द्रीय भण्डार का चार्ज इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि डा0 सिंह एक भ्रष्ट अधिकारी हैं एवं उन पर राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, आजमगढ़ एवं अन्य संस्थानों पर गड़बड़ी एवं गबन के ठोस आरोप हैं जिसका ठोस साक्ष्य जिला पशुधन अधिकारी दिखाने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक जांच होगी ?

श्री हुकुम सिंह—

यह सत्य नहीं है कि जिला पशुधन अधिकारी, आजमगढ़ ने उप निदेशक पशुपालन विभाग गोरखपुर को माह फरवरी एवं मार्च, 86 में डा0 एस0 एन0 सिंह, पशुधन विकास अधिकारी सदर आजमगढ़ के विरुद्ध पत्र लिखा था । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष, पशुधन विकास सहायक संघ उ0 प्र0 का शिकायती पत्रपर कृत कार्यवाही

17—श्री अफजाल अंसारी—

क्या अध्यक्ष, पशुधन विकास सहायक संघ, उ0 प्र0 एवं जिला पशुधन अधिकारी, आजमगढ़ ने माननीय पशुधन मंत्री, राज्य मंत्री एवं निदेशक, पशुपालन विभाग को कोई शिकायती पत्र भेजा है ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या-क्या हैं एवं उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक होगी ?

श्री हुकुम सिंह—

जी, नहीं । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

18—19—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूपों द्वारा वर्षवार सिंचाई क्षमता

20—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के बरेली मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली मण्डल में राजकीय नलकूपों एवं विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों के पिछले पांच वर्षों में वर्षवार नलकूपों की संख्या एवं औसतन सींच प्रति कूप निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राजकीय नलकूप		विश्व बैंक परियोजना के नलकूप	
	सं0	औसतन सींच प्रति नलकूप (हेक्टेयर में)	सं0	औसतन सींच प्रति नलकूप (हेक्टेयर में)
1982–83	1466	51.52	..	..
1983–84	1563	31.71	..	..
1984–85	1638	42.77	..	..
1985–86	1688	29.64	33	80.90
1986–87	1761	38.83	124	88.47

मेरठ मण्डल में विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूपों द्वारा की गयी सिंचाई

21—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेरठ मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के

नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में वर्षवार एवं औसत सींच प्रतिकूप निम्नवत है :—

वर्ष	सामान्य नलकूपों की संख्या	विश्व बैंक नलकूपों की सं0 (1 अप्रैल को)	सामान्य नलकूपों की औसत सींच प्रति कूप (हे0 में)	विश्व बैंक नलकूपों की औसत सींच प्रति कूप (हे0 में)
1982–83	..	2555	38	48.4	88.63
1983–84	..	2580	45	40.3	108.00
1984–85	..	2619	45	43.8	176.55
1985–86	..	2676	76	37.8	123.78
1986–87	..	2669	86	43.85	103.75

विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूपों द्वारा गोरखपुर मण्डल, मुरादाबाद मण्डल तथा लखनऊ मण्डल द्वारा की गयी सिंचाई

22—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में राजकीय नलकूपों, जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

23—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मुरादाबाद मण्डल में पिछले पांच वर्षों में वर्षवार राजकीय नलकूपों की संख्या एवं उनके द्वारा औसतन सींच प्रति कूप निम्नवत है:

वर्ष		नलकूपों की संख्या पहली अप्रैल को	सिंचाई का औसतन प्रति नलकूप (हेक्टेयर में)
1982–83	..	1653	42.5
1983–84	..	1667	38.12
1984–85	..	1668	43.54
1985–86	..	1740	32.6
1986–87	..	1784	42.5

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत उपरोक्त मण्डल में पिछले पांच वर्षों में कोई नलकूप सिंचाईरत नहीं था।

24—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ मण्डल में राजकीय एवं विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों की पांच वर्षों में वर्षवार संख्या एवं औसतन सींच प्रति नलकूप निम्नवत है :—

वर्ष		राजकीय नलकूपों की संख्या	प्रति नलकूप औसतन सींच (हेक्टेयर में)	विश्व बक के नलकूपों की संख्या	प्रति नलकूप औसतन सींच (हेक्टेयर में)
1982–83	..	1430	44.72	76	63.54
1983–84	..	1588	36.22	115	72.95
1984–85	..	1714	47.10	150	76.20
1985–86	..	1906	32.05	193	62.36
1986–87	..	2103	44.34	227	61.52

रामगंगा कमाण्ड परियोजना क्षेत्र शिकोहाबाद, मैनपुरी में कुलवा निर्माण हेतु कतिपय जमीन की अध्याप्ति

25—श्री श्याम बिहारी सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें बुधवार के लिए निर्धारित श्री हरगोविन्द वर्मा भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0 70 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा कृषक की ओर से भूमि अध्याप्ति कर गूल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत कुलावा नम्बर 57 रामगंगा कमाण्ड परियोजना क्षेत्र, शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी के अधिकार में 1984 से आ गया है ? यदि हां, तो क्या खेत संख्या 92 व 93 की सुविधाजनक सिंचाई के लिए खेत संख्या 57 व 58, 65 व 70 व तालाब संख्या 38 व 72 के किनारे से गूल निर्माण की जा रही है? यदि नहीं, तो आपत्ति के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

26—श्री कुशल पाल सिंह—

[दिनांक 9-7-87 को अता0 प्र0 सं0 82 द्वारा उत्तरित]

मांट क्षेत्र के नौहझील ब्लाक के जमुना किनारे के गांवों को सिंचाई सुविधा

27—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने दि0 29 दिसम्बर, 86 को मांट क्षेत्र के नौहझील ब्लाक के जमुना किनारे गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

28—श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

आगरा तहसील के नलकूप की संख्या और सिंचाई क्षमता

29—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में आगरा तहसील के अंतर्गत कितने नलकूप चल रहे हैं और उनसे कुल कितनी जमीन की सिंचाई हो रही है, जो नलकूप खराब हैं उनकी संख्या क्या है और खराब होने के कारण क्या हैं ?क्या उन्हें सही कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा जनपद में तहसील आगरा के अंतर्गत 7 नलकूप कार्यरत हैं ।

इनसे वर्ष 1986-87 में कुल 803 एकड़ सिंचाई हुई है ।

6 नलकूप खारा पानी के कारण विफल हो गये हैं ।

खारा पीनी ।

जी, नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पानी खारा होने के कारण इन नलकूपों को सही करना सम्भव नहीं है । 3 नलकूपों का परित्याग कर दिया गया तथा 3 नलकूपों का परित्याग प्रस्तावित है ।

उ0 प्र0 चर्म विकास निगम, आगरा आय-व्यय अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति का कोटा

30—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 चर्म विकास निगम, आगरा की पिछले पांच वर्षों की आमदनी और खर्चे का ब्योरा क्या है ? क्या मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि यह निगम घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी इस निगम के घाटे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	आय	व्यय
1981–82	.. रु0 191.43 लाख	रु0 195.83 लाख
1982–83	.. रु0 181.63 लाख	रु0 219.23 लाख
1983–84	.. रु0 111.03 लाख	रु0 156.81 लाख
1984–85	.. रु0 103.09 लाख	रु0 150.57 लाख
1985–86	.. रु0 69.03 लाख	रु0 139.66 लाख

हां ।

घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

1—विकासात्मक योजनाओं से कोई आर्थिक लाभ न होना तथा व्यय-भार निगम पर पड़ना ।

2—छोटी-छोटी इकाइयों को विपणन समर्थन देने की दृष्टि से स्वीकृत धनराशियों एवं उन्हें दिये गये कच्चे माल की कीमत का वापस न प्राप्त हो सकना ।

3—अर्थाभाव के कारण परियोजनाओं के समय से पूर्ण न हो पाने से अपेक्षित लाभ न मिल पाना ।

निगम स्तर पर 2 क्षेत्रीय प्रबन्धकों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं और 2 अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में वापस भेज दिया गया है । इसके अलावा 8 कर्मचारी निलम्बित कर दंडित किये गये हैं तथा 4 अन्य निलम्बित चल रहे हैं । 5 मामलों में जांच की कार्यवाही हो रही है और आगे भी जांच से दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

31—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस निगम के कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनमें अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निगम में 161 नियमित और 44 आकस्मिक (कुल 205) अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनमें अनुसूचित जाति के 63 व्यक्ति हैं।

सिंचाई विभाग में परफार्मेन्स बजट अधिकारी का सृजित पद

32—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजट अनुभाग में परफार्मेन्स बजट अधिकारी का पद कब सृजित किया गया था? उक्त अधिकारी के पद ग्रहण के पश्चात अगस्त 1986 तक उक्त अनुभाग में कितने कार्यालय अधीक्षक कार्य कर रहे थे? क्या उक्त अधिकारी के कार्य ग्रहण के पश्चात आय व्ययक/कार्यपूर्ति दिग्दर्शक अनुभाग में कोई अतिरिक्त कार्य जोड़ा गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य? यदि नहीं, तो अब कार्यालय अधीक्षक (स्तर-2) का पद उक्त अनुभाग के लिए क्यों सृजित किया जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग द्वारा नहर व रजवाहों की पटरियों के सड़कों के मरम्मत हेतु धन

33—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर व रजवाहों की पटरियों पर जो सड़कों का निर्माण हुआ है क्या उन सड़कों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध है? यदि हां, तो अनूपशहर ब्रांच नहर की पटरी की सड़क स्याना से भडकऊ, जनपद बुलन्दशहर की मरम्मत अब तक न होने का कारल क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहर व राजवाहों की पटरियों पर बनी पक्की सड़कों का रख रखाव, नहरों के रख-रखाव के लिये उपलब्ध धनराशि में से ही होता है। अनूपशहर बांच नहर की पटरी पर बनी सड़क की स्याना से भड़कऊ तक की मरम्मत क्रमशः मील 57-6-330 से मील 60-2-0 तक वर्ष 1984-85 में व मील 60-3-0 से मील 63-2-0 तक वर्ष 1985-86 में कराई गई।

औद्योगिक क्षेत्र घोषित/स्थापित करने हेतु निर्धारित मान्यताएं

34—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र घोषित करने हेतु कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? उद्योग क्षेत्र घोषित करने की क्या मान्यतायें व परिस्थितियां हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

औद्योगिक क्षेत्र घोषित अथवा स्थापित करने हेतु किसी आवश्यक क्षेत्रफल की सीमा निर्धारित नहीं है औद्योगिक क्षेत्र का चयन, वर्तमान औद्योगिक स्थिति, क्षेत्र विशेष में लग सकने वाले उद्योगों की संभावनाओं व उनकी आवश्यकताओं, आस-पास एवं जनपद में पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटन की स्थिति तथा उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

रेशम उद्योग के विकास हेतु केन्द्रीय सेरीकल्चर बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये धन का वर्षवार विवरण

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सरकार के केन्द्रीय सेरीकल्चर बोर्ड द्वारा उ0 प्र0 सरकार को वर्ष 1982-83 अथवा उसके बाद के किस वर्ष में पहली बार कितना रुपया प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास हेतु मिला तथा इसके बाद से अब तक प्रति वर्ष कितना-कितना रुपया मिला?

श्री वीर बहादुर सिंह—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार द्वारा उ0 प्र0 सरकार को वित्तीय वर्ष 1982-83 में अन्तर्राज्यीय टसर रेशम विकास परियोजना हेतु रुपये 25 लाख उपलब्ध कराया गया था।

वर्ष 1982-83 के बाद वित्तीय वर्ष 1983-84, 84-85 एवं 85-86 में क्रमशः रुपये 15.32 लाख, 41.28 लाख तथा 28.00 लाख टसर रेशम परियोजना के विकास हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार से उ0 प्र0 सरकार को प्राप्त हुआ।

झांसी जिले के गुरसराय नहर प्रणाली द्वारा कतिपय माइनरों का सिंचन एरिया

36—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले की गुरसराय नहर प्रणाली की डिकौली झबरा जखनवारा, रियां, धनौरा एवं अस्ता माइनरों का अलग-अलग सिंचित कमाण्ड एरिया कितना-कितना है तथा इस वर्ष प्रत्येक से अलग-अलग कितनी भूमि का पलेवा, हुआ, कितनी भूमि की कोर की प्रथम सिंचाई हुई तथा कितनी भूमि दूसरी सिंचाई हेतु जल मिल सका है? इतने कम क्षेत्र की सिंचाई हो पाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी जिले की गुरसराय नहर प्रणाली की डिकोली, झबरा, जखनवारा, रिया, धनौरा एवं अस्ता माइनरों का अलग-अलग कमाण्ड एरिया तथा इन माइनरों पर इस वर्ष पलेवा एवं पलेवा के अतिरिक्त एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम-सं0	माइनर का नाम	कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र	1394 फसली में पलेवा के अन्तर्गत सींच	पलेवा के अतिरिक्त एक या अधिक बार की सींच	योग
		हेक्टेयर			
1	डिकोली (बाढ़ से क्षतिग्रस्त)	624	121	..	..
2	झबरा ..	1090	121	86	207
3	जखनवारा ..	1593	165	85	250
4	रिया (निर्माणाधीन)	116	68	14	82
5	धनौरा (निर्माणाधीन) ..	828	105	3	108
6	अस्ता ..	3124	134	593	727

ये सभी माइनरें गुरसराय नहर प्रणाली की टेल पर पड़ती हैं। नहर प्रणाली पर 14050 हेक्टेयर कुल प्रस्तावित सींच के विरुद्ध 1394 फसली में 14952 हेक्टेयर रबी भूमि में सींच हुई । अत्यधिक सूखे के कारण रबी फसल में नहर के ऊपरी भाग में कृषकों द्वारा नहर काटने व अन्य अवैधानिक कार्यवाही के फलस्वरूप टेल तक पानी पहुंचाने में बाधा उत्पन्न हुई जिससे टेल के अंशों में पानी कम पहुंचा। पानी पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया। अतः विभागीय स्तर पर कोई दोषी नहीं है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों को मछली पालने हेतु पट्टा विषय पत्र पर कृत कार्यवाही

37—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के सिंचाई विभाग की बन्धियां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को मछली पालने हेतु 10 साल के पट्टे पर देने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1984 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-4193 स ख/84-23-सिं-3-243 एम-73/दि0 11 दिसम्बर, 1984 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त जलाशयों (बंधियों) तालाबों (टैंकों) (नदी) झीलों आदि में मछली निकालने का ठेका खुली नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को दिया जायेगा परन्तु यदि पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति अथवा उनके कोई सदस्य बोली में भाग लेते हैं, और यदि उच्चतम बोली से समिति अथवा उनके किसी सदस्य की बोली 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो समिति अथवा उनके सदस्य को मछली निकालने का ठेका उनके बोली पर दे दिया जाये अर्थात उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति से समिति अथवा उनके सदस्य को 25 प्रतिशत कम मूल्य पर ठेका देय होगा। यह छूट केवल पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को ही दी जायेगी तथा इसका लाभ समिति के किसी व्यक्ति विशेष को न होगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

मध्य गंगा नहर मद के अन्तर्गत अपर परीक्षितगढ़ राजबहा पर पिचिंग लगाने हेतु धन का आवंटन

38—श्री कनक सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा नहर मद के अन्तर्गत अपर परीक्षितगढ़ राजबाहा पर पिचिंग लगाने के लिए गत वर्ष 1985-86 में कितने धन का प्राविधान था, कितना धन व्यय किया गया है व 1986-87 में कितने धन का प्राविधान किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किठौर राजबाहा प्रणाली पर पिचिंग लगाने हेतु प्रश्नकर्ता के क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में उपरोक्त मध्य गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत गत वर्ष कितने धन का प्राविधान था व कितना धन लगाया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मध्य गंगा परियोजना के अन्तर्गत अपर परीक्षितगढ़ राजवाहे पर, वर्ष 1985-86 में, पिचिंग लगाने हेतु रु0 2.90 लाख का प्राविधान था जिसके विरुद्ध 2.91 लाख रुपये व्यय किया गया। वर्ष 1986-87 में इस कार्य हेतु 1.40 लाख रुपये का प्राविधान था जिसके विरुद्ध 1.38 लाख रुपये व्यय हुआ। माननीय विधायक के क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में किठौर राजबहा प्रणाली पर, मध्य गंगा परियोजना के अन्तर्गत, पिचिंग लगाने हेतु, वर्षों 1985-86 में 1.0 लाख रुपये का प्राविधान था जिसके विरुद्ध 0.93 लाख रुपये व्यय हुए। अप्रैल 1985 से मार्च 1987 के अंत तक कुल 1.63 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।

श्री शिव बालक, ज्येष्ठ उप प्रमुख, क्षेत्र चिनहट, लखनऊ का जिलापूर्ति कार्यालय लखनऊ तथा रामसागर मिश्र नगर के कोटेदारों के विरुद्ध शिकायती पत्र

30—श्री राम नरेश यादव—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-11-85 एवं 22-10-86 को श्री शिव बालक ज्येष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र समिति, चिनहट, लखनऊ के जिला पूर्ति कार्यालय लखनऊ के अधिकारियों तथा इन्द्रानगर कालोनी रामसागर मिश्र सागर के कोटेदार के विरुद्ध जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

प्रश्नगत मामले में श्री शिवबालक उर्फ बैठू यादव, ज्येष्ठ उप प्रमुख, क्षेत्र समिति चिनहट, लखनऊ का दिनांक रहित एक प्रार्थना-पत्र श्री राम बदन एडवोकेट, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 9-11-85 के साथ प्राप्त हुआ था जिसकी जांच खाद्य विभाग के पुलिस प्रकोष्ठ से कराई गई। जांच में आरोप निराधार पाये गये।

उक्त श्री शिव बालक का दूसरा पत्र दिनांक 11-10-86 जिसके साथ इनके पत्र दिनांक 15-11-85 की प्रति संलग्न थी, भी प्राप्त हुआ था। इसकी जांच अतिरिक्त जिला अधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ से कराई गई। जांच में शिकायतें निराधार पाई गई है।

अतः प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

पशु विकास अधिकारी सदर आजमगढ़ से वसूली का आदेश तथा एक्सीपाइरी दवा का प्रयोग

40—श्री अफजाल अंसारी—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु विकास अधिकारी सदर, आजमगढ़ जब 85-86 में क्षेत्र प्रबन्धक राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र आजमगढ़ पर नियुक्त थे तो निदेशक पशुपालन विभाग ने उनसे वसूली के आदेश उप निदेशक, पशुपालन गोरखपुर को भेजा था? यदि हां, तो क्या उसकी वसूली हुई? यदि नहीं, तो कब तक होगी?

श्री हुकुम सिंह—

जी, नहीं।

इस प्रकार के वसूली के कोई आदेश निदेशक पशुपालन द्वारा नहीं निर्गत किये गये थे।

41—श्री अफजाल अंसारी—

क्या उक्त अधिकारी जब पशु चिकित्सालय मोतीझील पर था तो क्या एक्सपाइरी डेट की दवा एक पशु को लगा कर रुपया वसूल किया था जिससे उक्त पशु मर गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुम सिंह—

प्रश्नगत अधिकारी को पशुचिकित्सालय मोतीझील पर तैनाती के दौरान उनके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

42—श्री राम सजीवन—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

43—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

44—श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

45—श्री काशी सिंह ऐरी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कतिपय राजबाहा द्वारा सन् 1986-87 में रबी की फसल हेतु दिया गया पानी

46—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किठौर, एल0 पी0 गढ़ तथा बहादुरगढ़ राजबाहा को सन् 1986-87 में रबी की फसल हेतु कितना पानी दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सन 1986—87 में रबी की फसल हेतु प्रश्नगत राजवाहों में निम्न प्रकार पानी दिया गया:

क्रम-सं0	राजवाहे का नाम	जलमात्रा क्यूसेक दिवस में
1	किठौर	19250
2	एल0 पी0 गढ़	4233
3	बहादुरगढ़	2128

जिला उद्योग केन्द्र मथुरा में भारी भ्रष्टाचार विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

47—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने जिला उद्योग केन्द्र मथुरा में भारी भ्रष्टाचार के बारे में माननीय मुख्य मंत्री को दिनांक 5-3-86 को कोई शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई जांच की गई ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथ्य सही पाए गए, एवं संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद मण्डल में राजकीय नलकूपों की संख्या तथा सिंचन क्षेत्र

48–श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल में राजकीय नलकूपों, जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या, पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांचों वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इलाहाबाद मण्डल में राजकीय एवं विश्व बैंक परियोजना के नलकूपों की पांच वर्षों में वर्षवार संख्या एवं औसतन सींच प्रति नलकूप निम्नवत है:–

वर्ष		राजकीय नलकूपों की संख्या	प्रति नलकूप औसतन सींच (हेक्टयर में)	विश्व बैंक नलकूपों की संख्या	प्रति नलकूप औसतन सींच (हेक्टयर में)
1982–83	..	1980	39.12	35	55.00
1983–84	..	2025	34.30	100	63.24
1984–85	..	2152	35.34	99	79.19
1985–86	..	2319	28.63	99	67.28
1986–87	..	2376	30.39	125	61.88

बरेली मण्डल में सिंचाई दरों के शेडयूल के अनुसार नहरों के कमाण्ड क्षेत्र

49–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में सिंचाई दरों के शेडयूल के अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की नहरों द्वारा क्रमशः उक्त मंडल के कितने प्रतिशत भाग नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में हैं तथा पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन तीनों श्रेणी की नहरों द्वारा प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बरेली मण्डल में कुल कृषि योग्य क्षेत्र 13, 14, 115 हेक्टयेर है जिसमें से 35.95 प्रतिशत अर्थात 4, 72, 447 हेक्टयेर शेड्यूल-1 की नहरों के कमाण्ड में तथा 4.49 प्रतिशत अर्थात 58,977 हेक्टयेर शेड्यूल-2 की नहरों के कमाण्ड में है । शेड्यूल-3 की कोई नहर नहीं है ।

विगत 5 वर्षों में शेड्यूल 1 व 2 की नहरों द्वारा अपने-अपने कमाण्ड क्षेत्र में निम्न प्रकार सिंचाई की गई:–

	प्रस्तावित सींच (हेक्टेयर)		वास्तविक सींच (हेक्टयर)		वास्तविक सींच का कमान्ड क्षेत्र से प्रतिशत	
वर्ष	शेड्यूल-1	शेड्यूल-2	शेड्यूल-1	शेड्यूल-2	शेड्युल-1	शेड्युल-2
1	2	3	4	5	6	7
1389 फ0	2,46,782	35,617	223715	37560	47.35	63.69
1390 फ0	,,	,,	239104	37514	50.60	63.60
1391 फ0	,,	,,	249371	41928	52.78	71.09
1392 फ0	,,	,,	248724	43898	52.65	74.43
1393 फ0	,,	,,	249751	44487	52.86	75.43

बुलन्दशहर में उ0 प्र0 वित्त निगम के शाखा प्रबन्धक द्वारा उद्योग लगाने हेतु अवैध ऋण वितरण

50—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्शहर में उत्तर प्रदेश वित्त निगम की उद्योगों को ऋण देने वाली स्थानीय शाखा की चार सदस्यीय सेलेक्शन समिति ने अपनी दिनांक 6 जून, 1986 की बैठक में मेमर्स आजाद इण्डस्ट्रीज तथा मे0 दीप उद्योग के ऋण आवेदन रद्द कर दिए थे इसे समिति की कार्यवाही रजिस्टर में भी दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उक्त कार्यवाही को बाद में काट कर क्षेत्रीय प्रबन्धक ने अवैध रूप से इन्हीं उद्योगों को ऋण वितरित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि ठीक ऐसा ही दिनांक 16 जून, 1986 की बैठक में मे0 जुगल पाइप उद्योग तथा इण्डिका सोप फैक्ट्री के निरस्त ऋण आवेदनों की कार्यवाही को फिर क्षेत्रीय प्रबंधक ने काट कर अवैध रूप से ऋण स्वीकृत कर दिए ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । उ0 प्र0 वित्तीय निगम के क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर की स्क्रिनिंग समिति की बैठक 6 जून, 1986 को नहीं बल्कि 3 जून, 1986 को हुई थी ? यह समिति केवल प्रारंभिक जांच करती है कि ऋण आवेदन विचार करने योग्य है अथवा नहीं। समिति ने उक्त बैठक में दोनों इकाई के आवेदन-पत्रों को नियमानुसार विचार करने हेतु स्वीकार किया । ऋण स्वीकृत अथवा निरस्त करने का निर्णय इस समिति ने नहीं लिया। ऋण स्वीकृति हेतु सक्षम रीजनल कमेटी ने अपनी बैठक दिनांक 10-7-86 को मे0 आजाद इण्डस्ट्रीज को ऋण स्वीकृत किया तथा दूसरी इकाई के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। इस प्रकार यह कहना सही नहीं है कि रद्द किये गये ऋण आवेदन पत्रों को बाद में स्वीकृत किया गया ।

इसी प्रकार यह कहना भी सही नहीं है कि मे0 जुगल पाइप उद्योग तथा इण्डिका सोप फैक्ट्री के निरस्त ऋण आवेदन-पत्रों को अवैध रूप से स्वीकृत किया गया । वास्तविकता यह है कि ये दोनों ऋण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सिराजुल हसन, वरिष्ठ लिपिक तथा श्रीमती मीना उसमानी कनिष्ठ लिपिक शारदा नहर प्रखण्ड सीतापुर के स्थानान्तरण विषयक शिकायती पत्र

51—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2183/शा0 अनु0/92 बी-अनु0 अधि0 दिनांक 19-5-85 के द्वारा उठाई गई आपत्ति जो एम0जी0ओ0 पैरा 52 व 53 के क्रम में है, सर्वश्री शमीम खां तथा श्रीमती नजमा खातून वरिष्ठ लिपिक एवं श्री सिराजुल हसन तथा श्रीमती मीना उसमानी कनिष्ठ लिपिक जो कि पति पत्नी हैं, के स्थानान्तरण के विषय में है तथा जिनका एक साथ ही एक खण्ड सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर सीतापुर में कार्यरत रहना प्रतिकूल ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक है, का स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री शमीम खां की पत्नी श्रीमती नजमा खातून एवं श्रीमती मीना उस्मानी के पति श्री सिराजुल हसन उस्मानी का सीतापुर खण्ड, शारदा नहर, सीतापुर से बाहर स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

अलीगढ़ की सिंचाई सलाहकार समिति की बैठकों का प्रस्ताव

52—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की सिंचाई सलाहकार समिति में अनुमोदित जनहित के आवश्यक कार्यों जैसे राजवाहा माचुआ के मील 17 पर ग्रामीण सड़क पुल का निर्माण, शहादतपुर नाले पर ग्राम नौरथा के पास ग्रामीण सड़क पुल का निर्माण तथा विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत पांच ग्रामों (कोड़रा, बकायत, हैदलपुर, सीतलबाड़ा, श्यामपुर) की जल प्लावन समस्या का निराकरण आदि आवश्यक कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद अलीगढ़ की सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक में राजबहा माचुआ के मील 17 पर ग्रामीण सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव नहीं रखा गया था । शहादपुर नाले पर ग्राम नौरथा पर ग्रामीण सड़क पुल निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है । सर्वेक्षण उपरान्त तकनीकी दृष्टिकोण से उचित पाये जाने पर इसके निर्माण हेतु कोई कार्यवाही करना संभव होगा। विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत पांच ग्रामों (कोड़रा, बकायन, हैदलपुर, सीतलवाड़ा, श्यामपुर) की जल प्लावन समस्या के निराकरण हेतु प्रस्ताव बनाने से पूर्व सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण उपरान्त प्रस्ताव को तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाये जाने पर इसका कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

श्री श्रवण कुमार गोंगिया, सहायक अभियन्ता गंगा नहर अलीगढ़ डिवीजन का स्थानान्तरण

53—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ डिवीजन गंगानहर अलीगढ़ के उप खण्ड द्वितीय में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री श्रवण कुमार गोंगिया के अधीनस्थ अवर अभियन्ताओं और समस्त स्टाफ से गम्भीर मतभेद हो जाने के कारण गतिरोध उत्पन्न होने से जनहित के आवश्यक कार्य एक वर्ष से रुके हुए हैं ? जनता व जन प्रतिनिधियों की शिकायत तथा विभागीय अधिकारियों के निर्देश से श्री गोंगिया का स्थानान्तरण गंगानहर डिवीजन अलीगढ़ से होने के बाद नव नियुक्त सहायक अभियन्ता श्री तिवारी की नियुक्ति उप खण्ड द्वितीय में, स्थायी रूप से क्यों नहीं की गई ? क्या इस उप खण्ड में सहायक अभियन्ता की विधिवत नियुक्ति कर जनहित के आवश्यक कार्यों को शीघ्र पूरा करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ के द्वितीय उपखण्ड में कार्यरत तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री श्रवण कुमार गोंगिया का उनके अधीनस्थ अवर अभियन्ताओं और समस्त स्टाफ के तथाकथित गम्भीर मतभेद की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई और न ही इस कारण गतिरोध उत्पन्न होने से जनहित से आवश्यक कार्य रुके हुए हैं ।

श्री गोंगिया के स्थानान्तरण के उपरान्त श्री शिव कुमार त्रिवेदी, सहायक अभियन्ता द्वारा उनका कार्यभार सम्भाला गया । प्रशासनिक कारणों से श्री तिवारी को उक्त उपखंड का कार्यभार सौंपना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

उपखण्ड में जनहित के कार्यों को अब भी कराया जा रहा है । सहायक अभियन्ता की स्थायी व्यवस्था भी शीघ्र कर दी जायेगी ।

तहसील दुद्धी, मिर्जापुर के कतिपय ग्रामों को बांध बनाकर पानी देने का प्रस्ताव

54—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की तहसील दुद्धी के आसपास के गांव धनौरा, खजुरी दुद्धी, मल्देवा, बरईडाड, पीपरडीह, शाहपुर आदि की सिंचाई लकड़ा बांध में ठेमा नदी पर चन्द्र प्रभा बांध वाराणसी की तरह बांध बनाकर पानी देने की स्कीम थी जो कनहर सिंचाई परियोजना के वजह से स्थगित कर दी गई है? क्या उसे पुनः चालू करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील दुद्धी, मिर्जापुर कटोली बांध की नहर को आगे बढ़ाने की मांग

55—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के तहसील दुद्धी के कटोली बांध की नहर को ग्राम मझोली तक बढ़ाने का कार्य चल रहा था, जो अब बन्द है ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में उसे पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

56–श्री विजय सिंह–

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा मुरादाबाद मण्डल का लिया गया क्षेत्रफल

57–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मेरठ मण्डल में राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड एरिया

58–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर मण्डल में राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड एरिया

59–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा बरेली मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र

60–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा फैजाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र

61—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ओ0 पी0 अग्रवाल अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड हाथरस द्वारा अपने सम्बन्धियों को अनियमित ठेका देकर लाखों रुपये का घोटाला किये जाने की जांच

62—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्री ओ0 पी0 अग्रवाल अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड हाथरस के सेवा निवृत्त होने में सिर्फ 7 माह शेष रह गए हैं और यह पिछले करीब दो वर्षों से उपरोक्त खण्ड में कार्यरत हैं ? श्री अग्रवाल अपने रिश्तेदारों-श्री ओ0 पी0 बंसल-अधर अभियन्ता बहरन सेक्शन व श्री रमेश चन्द्र गुप्ता व राजकुमार गुप्ता ठेकेदारों को हाथरस ब्रान्च में लगवा व काम देकर व श्री रमेश चन्द्र गुप्ता सहायक अभियन्ता सिंचाई उप खण्ड टूण्डला से सांठ-गांठ करके लाखों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं तथा प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के राजबाहों व माइनरों को खण्डहर बना दिया है ? क्या मा0 मंत्री जी उपरोक्त एक दूसरे के रिश्तेदारों के इस भ्रष्ट समूह को बृहद जनहित में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र से हटाने की कृपा करेंगे तथा इनके भ्रष्ट कार्यों की मौके पर जनता के बीच प्रश्नकर्ता की मौजूदगी में खुली जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अग्रवाल के सेवा निवृत्त होने में अब केवल 5 माह 16 दिन शेष रह गये हैं तथा वे उक्त खण्ड में दिनांक 31-10-1984 (अपराह्न) से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

63—श्री चन्द्र भान मौर्य—

[दिनांक 1-7-87 को अता0 प्र0 सं0 50 द्वारा उत्तरित]

श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड टूण्डला द्वारा वित्तीय अनियमितता

64—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड टूण्डला द्वारा वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए एक ही ठेकेदार श्री रमेश सिंह को एक ही तारीख 1-3-86 को दो चेक क्रमशः 77/192468 व 78/192468 काटे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त रिकार्ड की जांच कराने व दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

65—श्री चन्द्र भान मौर्य—

[दिनांक 1-7-87 को अता0 प्र0 सं0 49 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा की माइनरों व राजबहों पर लगी लेबिल मशीनों को ठीक कराने की मांग

66—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के राजबाहों-सहपऊ व बहरन फिरोजाबाद आगरा के राजबाहों व माइनरों में बेडवार तक नहीं है और न लेबिल मशीनें चालू हालत में हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त राजबहों व माइनरों में मौके पर गेडवारों के होने की व लेबिल मशीनों की खराब होने की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह नहर प्रणाली 100 वर्ष से अधिक पुरानी है अतः काफी वेडवारस क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिन्हें रखरखाव मद के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध हो जाने पर 3 साल में पूरा कराने का कार्यक्रम बनाया गया है । यह सही है कि खण्ड में 10 लेबिल मशीनों में से 5 लेबिल मशीन खराब थीं परन्तु उनको पूर्ण रूप से ठीक करा लिया गया है और सभी लेबिल मशीनें सुचारु रूप से कार्य कर ही रही हैं ।

चतुर्थ उपखण्ड लखनऊ खण्ड, शारदा नहर लखनऊ के अंतर्गत गत वर्षों में विद्युत सामान की आपूर्ति में अनिमितता की जांच

67—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ उपखण्ड लखनऊ खण्ड शारदा नहर प्रथम लखनऊ के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितने रुपयों के बिजली सामानों की आपूर्ति की गई ? क्या मंत्री जी उक्त वस्तुओं की जांच स्थल निरीक्षण द्वारा किसी अन्य अभियन्ता से कराकर संबंधित अभियंता को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चतुर्थ उपखण्ड, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में वर्षवार बिजली के सामान की आपूर्ति निम्नानुसार की गई :—

1984–85 : रु0 1,43,406·93
1985–86 : रु0 1,48,987·19
1986–87 : रु0 1,62,886·28

उपरोक्त सभी सामग्री लखनऊ मुख्यालय स्थित आवासीय व अनावासीय एवं कार्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु क्रय की गई थीं । क्रय की गई सामग्री तथा उपयोग के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई । अतः सम्बन्धित अभियन्ता को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर में ब्लाक पिपराइच के ग्राम कुरमौल के पास तूरा नाले पर पुल निर्माण की मांग

68–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम कुरमौल उर्फ बड़हड़ा के पास तूरा नाला बलुअहवा घाट पर पुल का निर्माण कई वर्ष से विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र की जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री राज किशोर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फर्रुखाबाद में लगे नलकूपों से खारा पानी निकलने की समस्या का समाधान

70–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि फतेहगढ़ सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह के प्रांगण में निर्मित नलकूप अत्यधिक खारा पानी मिलने के कारण कुछ दिनों में ही असफल हो गया है ? यदि हां, तो जनपद में ऐसे और कितने नलकूप खारे पानी के कारण असफल घोषित हुए हैं ? क्या भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा भू-जल की वैज्ञानिक ढंग से सर्वेक्षणोपरान्त खारे पानी के क्षेत्रों में नलकूप निर्माण की नीति अपनाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है ।

जनपद फर्रुखाबाद में केवल दो राजकीय नल कूप ही खारे पानी के कारण असफल घोषित किये गये हैं ।

जी हां ।

सिंचाई विभाग के राज्य कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में हुआ त्रिपक्षीय समझौता

71–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग के राज्य कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 1984 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री की उपस्थिति में कोई त्रिपक्षीय समझौता हुआ था ? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांग क्या थी एवं उसको अब तक लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

72–श्री सूर्य प्रताप शाही—

[5वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई, अवर अभियन्ता (सिविल) हेडवर्क खण्ड, शारदा नहर बरेली के विरुद्ध शिकायतों की जांच

73—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई व अवर अभियन्ता (सि0) जब 1979-1982 के मध्य हेडवकर्स खण्ड बनबसा में कार्यरत थे तो उनके विरुद्ध शिकायतों की जांचोपरान्त इन्हें अकार्यकारी पद पर रखे जाने के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो इन्हें कार्यकारी पद पर रखे जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई, अवर अभियन्ता (सिविल) डेडवर्क्स खण्ड, शारदा नहर, बरेली के अन्तर्गत दिनांक 2-1-78 से 7-7-80 तक कार्यरत रहे ।

इस अवधि में श्री बाजपेई अवर अभियन्ता को अकार्यकारी पद पर रखे जाने के कोई आदेश निर्गत नहीं किये गये थे । अतः इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

74—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

जनपद नैनीताल स्थित हरिपुरा तथा बौर जलाशय का प्रबंधाधिकार अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड रामपुर को देने पर विचार

75—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के किसी ऐसे जलाशय, जिससे एक से अधिक सिंचाई खण्ड लाभान्वित होते हों, का पूर्ण प्रबन्ध उस सिंचाई खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के अधीन रखे जाने का प्राविधान है जिस खण्ड का उस जलाशय के सर्वाधिक प्रतिशत पानी पर अधिकार हो ? यदि हां, तो जनपद नैनीताल में स्थित हरिपुरा तथा बौर जलाशय के प्रबंध का अधिकार अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रामपुर को न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के ड्रेनेज खण्ड प्रथम को उपलब्ध धन तथा कृत कार्यों की अधिशासी अभियन्ता श्री मौजी लाल यादव द्वारा जांच

76—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम, जनपद बस्ती को वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-1987 में कुल कितने रुपये प्राप्त हुए और किन-किन मदों में खर्च किये गये ? क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य अभियन्ताओं के विरुद्ध बाढ़ कार्यों की शिकायती जांच अधिशासी अभियन्ता श्री मौजी लाल यादव द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

77—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या यह सच है कि अधिक गड़बड़ी वाले स्थानों की जांच अधिशासी अभियन्ता श्री मौजी लाल यादव ने नहीं किया और इन स्थानों पर टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच की गयी थी ? यदि हां, तो टी0 ए0 सी0 द्वारा की गयी जांच पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

78—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

79—श्री जयदीप सिंह बरार—

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

80—81—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बदायूं में राशन की अधिक दूकानें खोले जाने की मांग

82—इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में आवश्यक वस्तु वितरण में सरकार के मानक के अनुसार जो राशन की दुकानें खोली जानी थीं, इस व्यवस्था में जनपद बदायूं प्रदेश में सबसे नीचे नम्बर पर आया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस व्यवस्था में गति लाने हेतु क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित को देखते हुए जनपद बदायूं में सरकार के मानक के अनुसार राशन की दुकानें न खोलने पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित को देखते हुए इस हेतु विशेष व्यवस्था कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

आवश्यक वस्तु वितरण में सरकार के मानक के अनुसार बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बदायूं में वर्ष 1985-86 में 45 सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । उक्त निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 178 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयीं ।

चूंकि वर्ष 1985-86 में जनपद बदायूं में लक्ष्य से कई गुनी अधिक दुकानें खोली गयी हैं, साथ ही प्रदेश में इसका स्थान सबसे नीचे भी नहीं है, अतः संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने, तथा इस संबंध में विशेष व्यवस्था किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आगरा जनपद में चीनी वितरण हेतु नयी दुकानों का आवंटन

83—श्री विजय सिंह राणा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में चीनी वितरण हेतु कुछ नये दुकानदारों को चीनी की दुकानों का आवंटन किया गया है जिसमें विकास खण्ड बिचपुरी के अन्तर्गत एक ही दुकानदार को एक फर्जी सहकारी समिति के नाम पर कई दुकानों का आवंटन कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

आगरा जनपद में चीनी वितरण हेतु नये दुकानदारों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन में विकास खण्ड बिचपुरी में एक ही दुकानदार को फर्जी सहकारी समिति के नाम पर कई दुकानें आवंटित नहीं की गई हैं । उपभोक्ता सहकारी भण्डार बलवन्त विद्यापीठ बिचपुरी को वर्ष 1985-86 में एक दुकान कालेज प्रांगण में आवंटित की गई है । उपभोक्ता सहकारी समिति वजीरपुरा को एक दुकान वर्ष 1984-85 में खासपुरा ब्लाक बिचपुरी में आवंटित की गई तथा वर्ष 1986-87 में उपभोक्ता सहकारी समिति वजीरपुरा को ही दूसरी दुकान कलवारी ब्लाक बिचपुरी में आवंटित की गयी । इस समिति की पंजीयन संख्या 1897 दिनांक 14-12-64 है ।

84—श्री विजय सिंह राणा—

[दिनांक 13-7-87 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई सचिव शाखा अन्तर्गत प्रवर वर्ग सहायक की बगैर तैनाती के वेतन आहरण

85—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई सचिव शाखा में प्रवर वर्ग सहायक का एक पद माह अगस्त 1986 से दिसम्बर, 1986 तक रिक्त रहा तथा एक प्रवर वर्ग सहायक को उक्त अवधि में उक्त शाखा में बिना तैनाती के वेतन दिया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार शासन के धन का दुरुपयोग करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उनके विरुध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा में खारे पानी के कारण राजकीय नलकूपों की असफलता से सरकार को वित्तीय क्षति

86—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद में 36 राजकीय नलकूपों में से 25 खारे पानी के कारण असफल घोषित कर दिए गये हैं, जिनकी ड्रिलिंग 350 फुट तक कराई गई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त 25 नलकूपों की असफलता से राज्य सरकार को कितनी वित्तीय क्षति हुई एवं सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की वित्तीय क्षति रोकने हेतु शासन की क्या नीति होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, जनपद मथुरा में 38 नलकूपों में से 25 नहीं बल्कि 15 नलकूप खारे पानी कारण विफल हैं, जिनकी ड्रिलिंग 210 फिट से 754 फिट तक की गई थी।

15 असफल नलकूपों पर 23,32,764-15 लाख रुपया व्यय हुआ।

यह भू-गर्भ स्ट्रेटा के खारे पानी के कारण विफल हुए हैं, न कि दोषपूर्ण निर्माण से, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे क्षेत्र में अन्वेषणात्मक परीक्षण के उपरान्त नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही जाएगी।

87–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

88–89–श्री राज किशोर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

90–91–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

92–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद फर्रुखाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले के विभिन्न श्रेणियों को दिए गये लाइसेन्सों का विवरण

93–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले, शक्कर, डीजल, मिट्टी के तेल व सीमेन्ट के कितने लाइसेंस विकलांग, हरिजन, सेवा निवृत, भू0 पू0 सैनिक व शिक्षित बेरोजगार व सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत दिए गए हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

फर्रुखाबाद जनपद में विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत दिए गये लाइसेंस का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणी		स0स0ग0 व शक्कर का लाइसेन्स	डीजल	मिट्टी का तेल	सीमेंट
1––विकलांग	..	8	1	5	..
2––हरिजन	..	24	..	2	1
3––सेवा निवृत्त	..	1	..	..	1
4––भू0पू0 सैनिक	..	9	7	..	2
5––शिक्षित बेरोजगार	..	05	2	..	..
6––सामान्य	..	128	32	157	30

वाहन व्यवस्थारहित प्रदेश के जिलापूर्ति कार्यालय की संख्या

94—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में जिला पूर्ति कार्यालयों में वाहन व्यवस्था नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह—

उत्तर प्रदेश में 22 जनपदों के जिला पूर्ति कार्यालयों में वाहन की व्यवस्था नहीं है ।

जनपद बस्ती में दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु चिलिंग प्लान्ट स्थापित करने का प्रस्ताव

95—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जैसे 35 लाख की जनसंख्या वाले जिले में सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए चिलिंग प्लान्ट स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं । बस्ती जनपद में वर्ष 1987-88 में भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रियल फाउन्डेशन योजनान्तर्गत दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है । उक्त योजनानुसार जनपद में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन आनन्द पद्धति पर किया जायेगा इनसे उपार्जित दुग्ध की आपूर्ति फैजाबाद एवं गोरखपुर में विद्यमान दुग्धशालाओं को की जायेगी । अतएव वर्तमान में बस्ती जनपद में चिलिंग प्लान्ट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा इलाहाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र

96—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा झांसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र

97—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

झांसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का लगभग 58.50 प्रतिशत क्षेत्र राजकीय सिंचाई संकर्मों (नहरों, नलकूप एवं पम्प नहरों) के कमाण्ड में आता है। विगत पांच वर्षों में राजकीय सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत वास्तविक सींच निम्न प्रकार है:–

वर्ष	वास्तविक सींच (हजार हेक्टयर में)	कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत
		प्रतिशत
1981–82	402.81	16.9
1982–83	530.80	22.5
1983–84	435.44	18.3
1984–85	505.00	21.3
1985–86	459.77	19.2

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा वाराणसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र

98–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा गढ़वाल मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र

99–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गढ़वाल मण्डल का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 3.893 लाख हेक्टेयर है जिसमें से 71664 हेक्टेयर भूमि राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड क्षेत्र में मार्च 1986 तक आ

चुकी है जो कृषि योग्य क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत है । गत पांच वर्षों में इन सिंचाई संकर्मों द्वारा निम्नलिखित वास्तविक सिंचाई की गई :–

वर्ष		वास्तविक सिंचाई हेक्टयर	कुल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत	कुल राजकीय संकर्मों के कमाण्ड क्षेत्रफल का प्रतिशत
1981–82	..	32553	8.1	45
1982–83	..	32483	8.1	45
1983–84	..	34257	8.5	49
1984–85	..	31318	9	50
1985–86	..	37758	9.4	52.5

राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुमायूं मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का सिंचित क्षेत्र

100–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

101–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम द्वारा कूड़ा नदी से हो रहे कटान को रोकने के उपाय तथा अब तक व्यय धन का भुगतान

102–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के ड्रेनेज खण्ड प्रथम में कूड़ा नदी के किनारे उसका बड़सर बांध पर नौखनिया गांव के पास वर्ष 86-87 में कूड़ा नदी कटान कर रही थी, जिसको रोकने के लिए ड्रेनेज विभाग ने सितम्बर, अक्टूबर 86 में कार्य कराया था ? यदि हां, तो कटाव को रोकने के लिए कितने मजदूरों ने काम किया तथा किन-किन प्रकार का सामान कितने रुपये में खरीदा गया ? क्या मजदूरों की मजदूरी तथा सामानों के मूल्य का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस कटान को रोकने के लिए विभाग ने कोई स्कीम बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

103 से 105–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

106-107–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

108 से 110–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

111–श्री राज किशोर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया]

जनपद बलिया के इब्राहिमाबाद में पशु सम्वर्द्धन प्रक्षेप खोलने की योजना पर विचार

112–श्री मैनेजर सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के इब्राहिमाबाद में पशु सम्बर्द्धन प्रक्षेप खुलने की कोई योजना विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रक्षेप खोलने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

113–114–श्री शारदानन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने कारण हटाये गये]

115–श्री अतर सिंह यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

116–श्री अचल सिंह–

[6वें गुरुवार को अता0 प्र0 सं0 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

117–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

118–श्री राज किशोर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गाजीपुर में मल्लाहों की रजिस्टर्ड संस्थाएं तथा बालू घाटों का ठेका दिए जाने में शासनादेशों की अवहेलना

119–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में मल्लाहों की कुल कितनी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं ? क्या ठेके इस वर्ष भी संस्थाओं को न बांटकर किसी एक ही संस्था को पूरे जनपद के सभी बालू घाटों का ठेका दे दिया गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता के अनेकों पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से शासनादेशों की अवहेलना करके एक ही संस्था को पूरे जनपद का बालू का ठेका दे दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गाजीपुर में मल्लाहों की 12 रजिस्टर्ड संस्थायें हैं ।

जी नहीं । बालू घाटों का ठेका एक ही संस्था को न देकर तीन संस्थाओं को दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माणाधीन पूर्वी यमुना नहर के आधुनिकीकरण पर व्यय धन

120–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर का वर्तमान आधुनिकीकरण कार्य जो इस समय निर्माणाधीन है, से पूर्व उक्त नहर प्रणाली पर किस अवधि में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या उक्त परियोजना में भी इस नहर की वहन क्षमता जो सन् 1960 में लगभग 1800 क्यूसेक थी, को बढ़ाकर 4000 क्यूसेक करना था परन्तु विभाग की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के फलस्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये थे ? क्या ऐसे परिणाम मौजूदा आधुनिकीकरण के उपरान्त भी सम्भावित हैं ? यदि हां, तो ऐसा न होने देने के लिए विभाग ने क्या ठोस उपाय किये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम गांधी के निर्माणाधीन राजकीय नलकूप के चोरी गये पाइप की जांच/सुरक्षा प्रबन्ध

121–श्री महरम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में राजेपुर विकास खण्ड के ग्राम गांधी में निर्माणाधीन राजकीय नलकूप के पचासों हजार रुपया के पाइप 1986 में चोरी कर लिए गये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, माह नवम्बर, 1986 में लगभग 70,000/-रुपये के पी0 वी0 सी0 पाइप एवं फिटिंग की चोरी हुई थी ।

उक्त चोरी की रिपोर्ट थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 17-11-1986 को दर्ज करायी गयी थी तथा पुलिस द्वारा दिनांक 20-6-87 को विभाग को सूचित किया गया कि अभियुक्तों एवं सामान का कोई पता नहीं चला और अन्तिम रिपोर्ट भेजी जा चुकी है । मामले में विभागीय जांच भी कराई जा रही है ।

122–श्री महरम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गांधी में निर्माणाधीन राजकीय नलकूप के सामान की तथा पाइपों की सुरक्षा के लिए विभाग ने पहले से क्या-क्या प्रबन्ध किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

साईट पर सामान की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध संबंधित कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया था।

इस संबंध में जांच के उपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है।

जनपद सुल्तानपुर ब्लाक भदैया अन्तर्गत ज्ञानीपुर अल्पिका व मीरानपुर माइनर के निर्माण से कृषकों को सिंचाई सुविधा

123–श्री शिवनारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भदैया जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत, रजई सराय माइनर जो भीखनपुर से दाउदपट्टी, कल्यानपही एवं बैलसौना से निकलकर दिलावलपुर के लिए जो दोनों माइनर किसानों की सुविधा के लिए जो कागज पर दिखाई गयी है, उनका निर्माण कब हुआ तथा किसानों की फसल की सिंचाई के लिए कब-कब पानी दिया गया, सिंचाई से कितना राजस्व शुल्क शासन को प्राप्त हुआ तथा क्या मौके पर इस समय पानी चल रहा है ? क्या यह सत्य है कि उस माइनर में पानी न आने से संबंधित किसान फसल की सिंचाई न कर पाने से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यथाशीघ्र जनपद सुल्तानपुर में ब्लाक भदैया के दक्षिणी छोर के किसानों की देखभाल के लिए प्रतापगढ़ से कार्यालय स्थानान्तरित कर सुल्तानपुर में स्थायी तौर से एक अधिकारी को बैठायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ब्लाक भदैया जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम रजई सराय, भीखनपुर एवं दाउद-पट्टी के लिए 5.4 कि0 मी0 लंबाई में ज्ञानीपुर अल्पिका तथा ग्राम कल्याणपुर पट्टी, बेलसौना व दिलावलपुर के लिए 3.6 कि0 मी0 लम्बाई में मीरानपुर माइनर का निर्माण वर्ष 1980 में प्रारम्भ किया गया परन्तु कृषकों के अवरोध तथा भूमि के संबंध में न्यायालय में वाद चलने के कारण निर्माण कार्य अभी अपूर्ण है। नहरों के निर्माण न होने के कारण कृषकों को सिंचाई के लिए पानी दिए जाने अथवा राजस्व की प्राप्ति होने का प्रश्न नहीं उठता। मौके पर अपूर्ण नहर में पैत्रिक नहर से कुछ पानी चलता है तथा क्षेत्र में सिंचाई पैत्रिक नहर से होती है। क्षेत्र को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन दोनों माइनरों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। निर्माण अपूर्ण होने तथा आगे प्रगति अव-रुद्ध होने से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

कार्यालय को प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर हस्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संबंधित उप खण्ड का लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र ही सुल्तानपुर जनपद में आता है।

उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में ऊनी हथकरघा उद्योगों की स्थापना तथा सरकार द्वारा देय वित्तीय सहायता

124–श्री काशी सिंह ऐरी–

1986 के प्रथम सत्र के तीसरे शुक्रवार को पूछे गये अता0 प्र0 सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में किन-किन स्थानों पर ऊनी हथकरघा तथा अन्य

उद्योगों की स्थापना कब की गयी? तिब्बत नेपाल से ऊन के पूर्णतया बन्द हो जाने के बाद से इन केन्द्रों को नियमित रूप से चलाते रहने, केन्द्रों में उत्पादन बढ़ाते रहने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने व रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

1986 के प्रथम सत्र के तीसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का कोई उत्तर उद्योग विभाग द्वारा नहीं दिया गया वरन् उक्त सत्र के तीसरे गुरूवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-20 का उत्तर उद्योग विभाग द्वारा दिया गया है। जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित ऊनी हथकरघा एवं अन्य उद्योगों की सूची काफी विस्तृत है जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर देख सकते हैं। पर्वतीय ऊन योजना की स्थापना वर्ष 1938 में की गई थी, अन्य उद्योगों की स्थापना का वर्ष माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर देख सकते हैं। तिब्बत नेपाल से ऊन के पूर्णतया बन्द हो जाने के बाद इन केन्द्रों को नियमित रूप से चलाते रहने और केन्द्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों से ऊन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों का प्रशिक्षण उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कराया जाता है। ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो इसलिए बोर्ड द्वारा गत वर्षों में ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है:–

वर्ष	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा (रु0में
1984–85	2,54,620	2,91,400
1985–86	7,82,880	9,61,560
1986–87	10,72,300	7,46,080

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के अभियन्ता श्री एस0 एन0 सिंह द्वारा इलाहाबाद में मकान बना लेने विषयक माननीय सदस्य का पत्र

125–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 481 मुख्य मंत्री जी को 3-12-85 को इलाहाबाद में सिंचाई विभाग के अभियन्ता श्री एस0 एन0 सिंह के द्वारा इलाहाबाद में मकान बनाने के बारे में मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी वह जानकारी अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अब भी सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश के आबकारी विभाग के अन्तर्गत नान-प्रिवेन्टिव आबकारी निरीक्षकों के स्थान पर प्रिवेन्टिव निरीक्षकों की नियुक्ति की मांग

126—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने आबकारी निरीक्षक सन् 1972 से अब तक अधिकांशतः प्रिवेन्टिव में ही हैं? क्या ऐसे आबकारी निरीक्षकों को नान प्रिवेन्टिव में स्थानान्तरित कर उनके स्थान पर प्रिवेन्टिव के निरीक्षकों को तैनात करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सन् 1972 से अब तक 21 आबकारी निरीक्षक अधिकांशतः प्रिवेन्टिव में ही नियुक्त हैं। ऐसे आबकारी निरीक्षकों को नान-प्रिवेन्टिव में स्थानान्तरित कर उनके स्थान पर प्रिवेन्टिव के निरीक्षकों को तैनात करने के सम्बन्ध में उनकी नियुक्ति अवधि तथा कार्य एवं आचरण को दृष्टिगत रखते हुये सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा।

आजमगढ़ के ग्राम देवडीह के कृषकों की टाण्डा नहर निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान

127—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम देवडीह के कृषकों को चक संख्या 500/745, 550-551, 554, 567, 568, 591, 616, 630, 632, की भूमि जिस पर नहर का निर्माण हो गया है, अध्याप्ति की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई ? कृषकों को प्रतिकर का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टाण्डा नगर के निर्माण हेतु आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम देवडीह के प्रश्नगत चकों की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की गई थी परन्तु प्रतिकर का अभिनिर्णय समय से घोषित न हो सकने के कारण यह अब निष्प्रभावी हो गई है। इनके अध्यापन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जा चुकी है। प्रतिकर का भुगतान अपेक्षित भूमि अध्याप्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने पर की जायेगी।

128—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

बलिया के शिक्षित बेरोजगारों द्वारा उद्योग के नाम पर लिए ऋण का दुरुपयोग

129—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में बलिया जनपद में किन शिक्षित बेरोजगार लोगों ने उद्योग के नाम पर ऋण लेकर उद्योग प्रारम्भ नहीं किये, उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वः रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1984-85 में जनपद बलिया में 6 लाभार्थियों ने उद्योग प्रारम्भ नहीं किये एवं बैंकों द्वारा दिये गए ऋण का दुरुपयोग किया । बैंकों द्वारा इन व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस निर्गत की चुकी है। वर्ष 1985-86 में वितरित ऋण के सदुपयोगिता की जांच अभी पूर्ण नहीं हुयी है।

130–श्री आँसान सिंह–

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

(व्यवधान)

एक सदस्य–

कोरम पूरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कोरम पूरा न होता तो घण्टी बजती रहती।

(व्यवधान)

नियमों को निलम्बित करके प्रदेश में सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा कराये जाने की मांग

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप नियम-311 के अन्तर्गत नियमों को निलम्बित करके, प्रश्न काल को निलम्बित करके प्रदेश में सूखे के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, जो आर्थिक समस्या पैदा हुई है, उसको सुनें । सूखे के कारण हरिजनों की, किसानों की, गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गयी है। सरकार ने राहत का कोई काम नहीं किया। प्रदेश में जल स्तर कई फिट नीचे चला गया । पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । लोग परेशान है । इसके बावजूद भी सरकारी देयों को वसूलने में उत्पीड़न का कार्य कर रही है, जबर्दस्ती कर रही है। मेरा निवेदन है कि जितने भी सरकारी देय हैं, सरकारी कर्जे हैं, उनको सूखे को देखते हुए माफ करें। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जो भी छात्र पढ़ते हैं उनकी फीस माफ करें।

मान्यवर, मेरा एक और निवेदन है कि इस सदन में विपक्ष की भी भूमिका अहम होती है। विपक्ष के लोगों का काम सदन में, जनतंत्र में जनता की आवाज को उठाना है । यह सरकार लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती । लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। 52 सदस्य निलम्बित सदस्यों को बहाल नहीं कर रही है। लोकतंत्र में पुलिस बुलाने का काम इस सरकार ने किया । पुलिस बुलाकर वीर बहादुर सिंह की सरकार ने लोकतंत्र का निलम्बन किया है । 52 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की आवाज सूखे की स्थिति पर नहीं उठ पायेगी। भारतीय जनता पार्टी के 16 सदस्यों ने बहिष्कार किया है। मेरा निवेदन है कि इस सिलसिले में, इस सवाल पर सारे के सारे नियमों को निलम्बित कर दें तथा सूखे पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। आपने नियमों के बारे में बताया।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल क्या कह रहे हैं?

*नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, प्रश्नों का समय जो निर्धारित है, आज प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रश्न महत्व नहीं रखते। मेरा निवेदन है प्रदेश के अन्दर जो भयावह स्थिति है उस प्रश्न पर सदन के सदस्यों को सुनने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उसी सिलसिले में कह रहा हूं। निलम्बन के सिलसिले में कह रहा हूं। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियमों के निलम्बन के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। दूसरी बात यह है कि आज राजस्व विभाग का बजट लगा हुआ है। जिसमें सूखे और राहत पर चर्चा सम्मिलित है। प्रस्ताव की भाषा भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि प्रश्नोत्तर काल को निलम्बित करके प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा की मांग की गयी है। इसलिये यह अनुरोध स्वीकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सूखे पर चर्चा लगी हुई है, माननीय राम नरेश जी कृपया बैठ जायं।

श्री राम नरेश यादव–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

[तत्पश्चात् लोक दल (अ) के कुछ माननीय सदस्य मेजों को जोर-जोर से थपथपाने लगे]

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जैसा कि आपने अभी घोषणा की कि आज इस सदन में राजस्व का बजट है, उसमें अपनी इन बातों को रखिएगा। मान्यवर, हम लोगों के द्वारा जो यह प्रस्ताव लाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[xxx] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया है, वह बड़ी ही विषम परिस्थितियों में लाया गया है। मान्यवर, यहां पर आज केवल लोकदल (अ) के सदस्य और माननीय वर्मा जी तथा बारी साहब ही हैं बाकी सारे माननीय सदस्य इस सदन का त्याग कर चुके हैं और अगर शासन यही चाहता है कि विरोध पक्ष न रहे और इस स्थिति में यह अपने राजस्व के बजट को पास करा लें, तो मान्यवर, करा लें, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और मैं समझता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश में कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारे 52 माननीय सदस्य पहले से बाहर हैं और कल इन्हीं माननीय सदस्यों के निलम्बन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के 16 माननीय सदस्यों ने और सदन का त्याग कर दिया और मान्यवर, यह सरकार यही चाहती है कि विरोध पक्ष यहां पर न रहे और वह अपने सारे काम मनमाने ढंग से करती रही और अगर यह चाहते हैं कि विरोध पक्ष भी अपने अधिकारों का प्रयोग करे और अपने यहां की समस्याओं को शासन के समक्ष रखे तो इनको फिर इसकी आवाज को सुनकर विचार करना चाहिए कि आज मान्यवर, प्रदेश की स्थिति क्या है। हरिजनों की यह बहुत दुहाई देती है, किसानों के संबंध में भी यह सरकार बहुत दोहाई देती है, लेकिन आज इन हरिजनों की और किसानों की जमीनें नीलाम की जा रही हैं, सीमान्त कृषकों और लघु कृषकों के कर्जे यह सरकार माफ नहीं कर रही है, सूखे की भयावह स्थिति होने के बावजूद यह सरकार वसूली पर जोर दे रही है और छात्रों की फीस को माफ नहीं कर रही है, मान्यवर, जब तक इन बातों पर यह सरकार गम्भीरता से विचार नहीं करेगी, फिर यह सदन की कार्यवाही किस प्रकार से चलेगी।

(तत्पश्चात् सभी सदस्य यह नारे लगाने लगे कि यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब शांत हो जायं। प्रश्नों के दरम्यान व्यवस्था का प्रश्न कहां उठाया जाता है, कृपया शांत रहें, नत्थी "क", अल्पसूचित तारांकित

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्रश्नों के उत्तर के लिये मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री बोलने के लिये खड़े हुए हैं। नियमों के अनुसार जब किसी विषय के बाद कोई दूसरा बोलता है तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। चूंकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री खड़े हुए हैं, इसलिये व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। मैंने जो प्रस्ताव रखा है, जिसमें माननीय राम नरेश यादव जी तथा अन्य अनेक मा0 सदस्यों के दस्तखत हैं, उस पर माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी बोलने के लिये खड़े हुए हैं, और चूंकि यह एक नीतिगत मामला है और काबीना स्तर के मंत्री ही मंत्रि-परिषद् के बैठक में जाकर नीति निर्धारित करते हैं, तो फिर यहां पर ये राज्य मंत्री नीति सम्बन्धी क्या घोषणा करेंगे। आप किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री को बुलवाइये, वह आयें और जवाब दें। राज्य मंत्री समझदार हैं लेकिन आजकल राज्य मंत्रियों की हालत खराब है। अगर सरकार कर्जे माफी की घोषणा कर रही है तो यहां पर कैबिनेट मंत्री आकर जवाब दें। राजस्व मंत्री, बल्देव सिंह आर्या जी आकर जवाब दें। यह राज्य मंत्री बार-बार खड़े हो जाते हैं। मान्यवर,

जिस टायर में पंचर हो जाता है तो स्टेपनी लगाकर काम चलाया जाता है, उसी तरह ये राज्य मंत्री बार-बार जवाब देने लगते हैं। राज्य मंत्री इसका जवाब दे पायेंगे, इसमें हमें शक है।

श्री अध्यक्ष–

वह खड़े हुए हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वह जबाब नहीं दे पायेंगे।

*संसदीय कार्य राज्यमंत्री (हुकुम सिंह)–

मैं जवाब देने की धृष्टता नहीं कर रहा हूं। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

राम नरेश यादव जी, आप तो इस प्रदेश के सर्वे सर्वा रहे हैं।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, सवाल यह है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न इस सदन के सामने आया है कि नियमों का निलम्बन कर सूखे से उत्पन्न स्थिति तथा अन्य और भी विषयों पर चर्चा कराई जाय। इनकी चर्चा कराने की इच्छा नहीं है, (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में जब यह सवाल आया है, इसमें मान्यवर, नीतिगत प्रश्न है, जिनके बारे में घोषणा सरकार को करनी है। मुख्य मंत्री इस सदन में नहीं हैं, जब तक वे नहीं आते इस सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। आप सरकार को निर्देश दें कि मुख्य मंत्री जी इस सदन में आवें और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने विचार रखें कि सदन के सामने जो मांग आयी है, जिन तथ्यों को उठाकर नियमों का निलम्बन करके चर्चा कराने का सवाल उठाया गया है, चाहे सूखे की चर्चा हो, चाहे वसूली की रोकने की बात हो, नहरों और ट्यूबवेल को पूर्ण क्षमता से चलाने की बात हो या छात्रों की फीस की माफी की बात हो या और कोई राहत देने की बात हो, इन सभी सवालों के संबंध में आप सरकार को निर्देश दें कि मुख्य मंत्री जी इस सदन में आएं और सारे प्रश्नों का जवाब दें और घोषणा करें, नहीं तो यह सदन नहीं चलेगा।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो प्रश्न माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने रखा है नियम 311 के अन्तर्गत कि नियमों का निलम्बन करके उस समस्या को लाया जाय, जिस समस्या से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्थिति पूरे प्रदेश में पैदा कर दी है, उससे मान्यवर, विपक्ष को बाहर करके जिस तरह से नापाक साजिश कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिये तैयार नहीं हैं . .

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी चिंता सम्मानित विपक्ष के सदस्यों की है इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि ये किसी दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और आज हमारी सहानुभूति उन माननीय सदस्यों के साथ है जो आपसी फूट का शिकार बनकर सदन के कार्य संचालन में व्यवधान पैदा करना चाह रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज राजस्व का बजट लगा हुआ है । नीतियों के ऊपर चर्चा होनी है । सरकार को जानकारी देनी है कि जहां-जहां सूखाग्रस्त प्रदेश घोषित किया गया है, वहां पर सरकार क्या-क्या राहत योजनाएं चलाने जा रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अगर आपकी रुचि इस बात की हो कि सरकार क्या-क्या योजनाएं चलाने जा रही है या क्या-क्या सुविधाएं देने जा रही है, तो आपको सब्र और संतोष के साथ सुनना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

लेकिन मान्यवर, यह इनका आशय नहीं है। इनके साथ में दिक्कत यह है कि यह न सत्तापक्ष में है, न विरोध पक्ष में है, बल्कि यह एक बीच की कड़ी बनकर के रह गये हैं ।

(घोर व्यवधान)

(विरोधी पक्ष लोकदल (अ) के माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" "मुख्य मंत्री सदन में आओ")

श्री हुकुम सिंह–

यह अपनी स्थिति को कायम नहीं रख पा रहे हैं । इनका मानसिक संतुलन खराब है । बाकी विरोध पक्ष यहां है नहीं ।

(घोर व्यवधान)

(विरोधी पक्ष लोकदल (अ) के माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" "मुख्य मंत्री सदन में आओ")

(सत्ता पक्ष की ओर से श्री सुरेन्द्र कपिल, श्री पूरन सिंह माहरा, श्री अमिताभ लवानियां तथा श्री हीरा सिंह विष्ट खड़े होकर नारे लगाने लगे "विरोधी दल की गुंडा-गर्दी नहीं चलेगी-नहीं चलेगी।"

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

यह लोग अपनी आपसी विषमताओं का शिकार होकर यहां पर बैठे हुए हैं । इनमें न कोई विवेक बचा हुआ है और न कोई तर्कशक्ति बची है । हमारी बात को इन्हें संतोष और सब्र के साथ सुनना चाहिये ।

(घोर व्यवधान)

(विरोधी पक्ष लोकदल (अ) के माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" "मुख्य मंत्री सदन में आओ")

(सत्ता पक्ष की ओर से श्री सुरेन्द्र कपिल, श्री पूरन सिंह माहरा, श्री अमिताभ लवानियां तथा श्री हीरा सिंह विष्ट खड़े होकर नारे लगाने लगे "विरोधी दल की गुंडा-गर्दी नहीं चलेगी-नहीं चलेगी।"

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो कहना चाहता हूं कि जो सदस्य सदन में खड़े होकर अर्नगल अनावश्यक नारे लगा सकते हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि इनकी आस्था सदन में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष लोकदल (अ) के माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी")

श्री हुकुम सिंह–

यह अपनी आवाज को बुलंद करके, माननीय सदन को, सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं । इनको दूसरे पक्ष की बात संतोष के साथ सुननी चाहिये । मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

(विरोधी पक्ष लोकदल (अ) के माननीय सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी" "मुख्य मंत्री सदन में आओ")

श्री अध्यक्ष–

मैं 12.30 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई ।)

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(सर्वश्री विजय सिंह राणा, किरन पाल सिंह, फजलुल बारी और श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें । इस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय दे चुके हैं इसलिये अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने आपको लिखकर दिया है इसलिये आप मेरी बात सुनें ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, नियम 311 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है यहां पर राजस्व मंत्री उपस्थित हैं । आज पूरे प्रदेश के अन्दर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, प्रदेश सूखे से त्रस्त है लेकिन यह सरकार घोषणायें तो कर देती है लेकिन उन पर कार्यान्वियन नहीं होता है । इसलिये मैं राजस्व मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसानों के कर्जे माफ किये जायें और जो वसूली उनसे की जा रही है उसे माफ किया जाये। उत्पीड़न की कार्यवाही को समाप्त किया जाय और छात्रों की फीस को माफ किया जाये । यदि माननीय मंत्री जी सक्षम हों तो इन सारी चीजों की घोषणा इस माननीय सदन में कर दें । आज उत्पीड़न के नाम पर लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है इनकी सम्पत्ति की कुर्की व नीलामी की जा रही है । यही नहीं अभी कुछ दिन पहले हरेन्द्र मलिक जी ने एक मामला उठाया था कि एक वकील की हत्या कर दी गयी, एक महिला ने आत्महत्या

कर ली । यहां पर कहा गया कि कार्यवाही की जायेगी लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की गयी, इस प्रकार की जो आपकी घोषणायें होती हैं । क्या हम यहां पर केवल भत्ता लेने के लिए ही बैठे हैं । यदि हम लोगों की बातों पर विचार नहीं किया गया तो हम जन प्रतिनिधियों का यहां पर बैठने का क्या औचित्य है ।

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

जब सूखे पर चर्चा होगी, तब आप अपनी बात कहें और या जब बजट पर चर्चा होगी तब आप अपनी बात कहें ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, पूरा प्रदेश सूखे से त्रस्त है इसलिये मेरी मांग है कि किसानों के कर्जे माफ किये जायें, उत्पीड़न की कार्यवाही समाप्त की जाये, छात्रों की फीस माफ की जाये और जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन किया गया है साथ ही कल 16 और सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने निलम्बन प्रस्ताव को वापस न लिये जाने के विरोध में सदन का त्याग किया है, उनका निलम्बन समाप्त किया जाये उन लोगों के यहां पर उपस्थित न रहने के कारण एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी है जब तक उनका निलम्बन वापस नहीं किया जायेगा, यह सदन सुचारू रूप से नहीं चल पायेगा इसलिये मैं पुनः मांग करता हूं कि उनके निलम्बन के प्रस्ताव को वापस लिया जाये ।

(विजय सिंह राणा, फजलुल बारी, किरन पाल सिंह, मूलचन्द्र आदि अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने राजस्व राज्य मंत्री जी को बोलने के लिये कह दिया है आप लोग बैठें उसके बाद अपनी बात आप कह दीजियेगा ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि जो मामले उठाये गये हैं उसमें कई नीति विषयक प्रश्न हैं, इसलिये हम चाहेंगे कि राजस्व मंत्री जी को ही आप बुलायें क्योंकि राजस्व राज्य मंत्री जी कई बातों पर उत्तर देने का अधिकार नहीं है । पहला लघु सीमान्त एवं हरिजन काश्तकारों के कर्जे माफ किये जायें, उत्पीड़न की कार्यवाही समाप्त की जाये, तीसरा छात्रों की फीस को माफ किया जाये ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने आपको लिखित रूप में भी दिया है इसलिये आप हमें पहले सुन लें और उस पर माननीय सदस्यों को भी सुन लें, तब उस पर समग्र रूप से विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष रूलिंग दे चुके हैं इसलिये मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं देता ।

नियम 301 के अंतर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अंतर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से सात सूचनायें सर्वश्री किशोरी लाल सकलानी, राजेन्द्र शर्मा, प्रधान प्रभु दयाल, बदन सिंह, शफीकुर्रहमान बर्क, श्री अच्युतानन्द तिवारी और श्री राधेश्याम जी की स्वीकार की गई,* शेष दो सूचनायें श्री यदुनाथ सिंह व श्री सूर्य प्रताप शाही की अस्वीकार की गई ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत 4 सूचनायें सर्वश्री विजय सिंह राणा, अनुग्रह नरायण सिंह, राम नरेश यादव और श्री अर्जुन सिंह की प्राप्त हुई हैं इन सबको अस्वीकार किया गया ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 1 जुलाई, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 जुलाई, 1987 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*सूचनाएं सदन में पढ़ी नहीं गयीं ।

†दिनांक 18 जुलाई, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य स्थगन के प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री किरनपाल सिंह एवं विरोधी पक्ष के अनेक अन्य माननीय सदस्य सदन के "फ्लोर" से होते हुए अध्यक्ष पीठ पर चढ़ने का प्रयत्न करने लगे एवं कागज इत्यादि फेंकने लगे, जिससे घोर व्यवधान हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

पहली सूचना श्री किरनपाल सिंह एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की, दूसरी सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क की, तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव एवं अन्य की, चौथी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की, पांचवीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह की, छठी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री बदन सिंह एवं अन्य की, सातवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री दीपचन्द्र सोनकर एवं अन्य की तथा आठवीं सूचना श्री प्रधान प्रभुदयाल की है । मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पीठ पर चढ़ने का प्रयत्न करने एवं कागज इत्यादि फाड़कर फेंकने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम भोजनावकाश तक के लिए उठते हैं ।

(सदन में घोर व्यवधान होने पर श्री उपाध्यक्ष ने 12 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)।

श्री फजलुल बारी—

उपाध्यक्ष जी, मेरठ के अन्दर फसाद हो गया । . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों के कर्जों को माफ करने की घोषणा नहीं की । सरकार ने छात्रों की फीस माफ करने के बारे में कुछ नहीं कहा । . . . .

(व्यवधान के बीच में)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 11 ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में मांगों के लिए मतदान—अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत), अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 84—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,43,44,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,62,08,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाल परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 69,49,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(लोकदल (अ) के कई सदस्य सदन के फ्लोर में आकर नारे लगाने लगे ।)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा कटौती के प्रस्ताव हेतु पुकारे जाने पर किसी भी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,43,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,62,08,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(लोकदल (अ) के सदस्य फ्लोर में खड़े-खड़े नारे लगाते रहे कि :–"किसान विरोधी सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।" व्यवधान . . . सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 69,49,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84–सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[लोक दल (अ) के सदस्य फ्लोर में नारे लगाते रहे कि "किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।"]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से पहली सूचना जो कि श्री सरदार सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री बदन सिंह द्वारा प्रदेश में नगर विकास विभाग द्वारा बहुमूल्य जमीनों एवं इमारतों का सस्ते दामों पर पट्टा के संबंध में है, वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी है । दूसरी सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क की है जो कि लखनऊ में सड़क के किनारे की भूमि बेरोजगार स्नातकों का दुकान के लिए एलाट किए जाने के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है । शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं ।

(घोर व्यवधान)

इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालाजी की यूनिटों को बन्द किये जाने के संबंध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

[इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालाजी, इलाहाबाद के अंतर्गत वर्ष 1970-71 से प्रशिक्षण युक्त उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण युक्त उत्पादन केन्द्र में सरसों का तेल, साबुन, माचिस, विभिन्न साइज में स्टील आलमारी, लकड़ी के फर्नीचर, प्लास्टिक के सामान, कृषि यंत्र, चर्म उद्योग, हाथ कागज उद्योग, मशाले तथा कृषि उपकरणों के निर्माण कार्य श्रमिकों की सहायता से किया जाता था तथा निर्मित सामानों की बिक्री सामान्य रूप से बाजार में की जाती है। सामान्यतः इस प्रतिष्ठान में लगभग 164 श्रमिक नियोजित होते हैं।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विगत कुछ वर्षों से श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालाजी यूनियन (जो हिन्द मजदूर सभा के संबंद्ध है) व प्रबन्धकों के बीच वेतन भत्तों को लेकर विवाद चल रहा था । इस विवाद के कारण प्रबन्धकों द्वारा अचानक दिनांक 20-4-87 से उत्पादन केन्द्र बन्द कर दिया गया । बन्द होने के समय 119 श्रमिक काम पर थे जिन्हें नौकरी से पृथक किया गया ।

किसी भी औद्योगिक इकाई को बन्द करने से पूर्व श्रम नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है । इस प्रक्रिया को पूरी न करने के कारण उप श्रमायुक्त द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 (ओ) के उल्लंघन किये जाने के संबंध में इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालाजी इलाहाबाद के विरुद्ध अभियोजन मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के समक्ष दायर किया गया है जो अभी विचाराधीन है । चूंकि श्रमिकों को मार्च, अप्रैल तथा मई 1987 का वेतन भुगतान नहीं किया गया था इसलिये उप श्रमायुक्त द्वारा श्रम कानूनों के तहत वेतन भुगतान हेतु प्रबन्धकों को नोटिसें जारी की गई । इस पर प्रबन्धकों द्वारा मार्च 1987 का वेतन भुगतान किया गया । श्रमिकों को माह अप्रैल 87 का वेतन भुगतान न किये जाने के कारण संस्थान की दो कारों को कुर्क किया गया था जो उच्च न्यायालय के आदेशानुसार संस्थान को वापस कर दी गई है । माह मई का वेतन भुगतान न करने के फलस्वरूप उप श्रमायुक्त द्वारा रु0 75,531/- की रिकवरी का प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसके अनुसार तहसीलदार चायल, इलाहाबाद ने इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालाजी, इलाहाबाद के बैंक एकान्उट को कुर्क करके रुपया वसूल लिया है और उप श्रमायुक्त को श्रमिकों में वितरित करने हेतु भेज दिया है ।

यह सही है कि उत्पादन केन्द्र के बन्द हो जाने से श्रमिकों में असंतोष है । उत्पादन केन्द्र को खुलवाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रशिक्षण युक्त उत्पादन केन्द्र तथा विद्यालय दो अलग-अलग स्वतंत्र इकाईयां हैं । विद्यालय में वर्ष 1986-87 की डिप्लोमा परीक्षायें सम्पादित हो चुकी है एवं 30 जून, 1987 व 7 जुलाई, 1987 को परीक्षाफल घोषित किये जा चुके है । प्रथम वर्ष के 606 छात्रों का प्रवेश 10 जुलाई, 1987 तक किया जा चुका है और कक्षायें भी 21 जुलाई, 1987 से प्रारम्भ होंगी । द्वितीय, तृतीय एवं अंतिम वर्ष पार्ट टाइम की कक्षायें दिनांक 17-7-87 से प्रारम्भ होने जा रही है । इस प्रकार संस्था में शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उत्पादन केन्द्र के श्रमिकों द्वारा गेट पर दिये जा रहे धरने से कोई व्यवधान नहीं है ।]

[लोक दल (अ) के सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाये जाते रहे जिसके कारण निरन्तर व्यवधान बना रहा ।]

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लगे इंडिया मार्क-2 वाले हैण्ड पम्पों की मरम्मत के संबंध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

[ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा लगाए गए इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की पूर्व में कोई सुनिश्चित व्यवस्था उपलब्ध न होने के परिप्रेक्ष्य में ही यह निर्णय लिया गया था कि जल निगम द्वारा लगाए गए हैण्ड पम्पों के रख-रखाव का कार्य गांव सभाओं के माध्यम से कराया जाये ताकि ग्राम्य अंचल की जनता को हैण्ड पम्पों के खराब हो जाने के कारण पेय जल की विभाषिका से न जूझना पड़े । तद्नुसार यह निर्णय लिया गया कि प्रति हैण्ड पम्प 150/- रुपये की दर से जल निगम द्वारा लगाए गए हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाये । वर्ष 1985-86 में इस हेतु 60 लाख रुपये तथा वर्ष 1986-87 में प्रथम छमाही में रख-रखाव हेतु निदेशक पंचायत राज के माध्यम से उत्तर प्रदेश जल निगम को 42,88,500 रुपये तथा द्वितीय छमाही में इतनी ही धनराशि निदेशक पंचायत राज के माध्यम से गांव सभाओं को रख-रखाव हेतु आवंटित की गई ।

जहां तक हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण हेतु निश्चित व्यवस्था का प्रश्न है यह उल्लेख करना समीचीन होगा ग्रामीण क्षेत्र में लगे हैण्ड पम्पों को उनके बिगड़ने की दशा में तत्काल सही करने के उद्देश्य से यह उपयुक्त समझा गया कि उनकी मरम्मत विकास खण्ड के अंतर्गत स्थापित पंचायत उद्योग के माध्यम से कराई जाये । हैण्ड पम्प मरम्मत किए जाने का प्रमाण-पत्र भी दिए जाने की व्यवस्था की गई जिस पर प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा उप प्रधान या सदस्य ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर किए जाने की भी व्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त मिस्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई तथा इस कार्य हेतु यूनीसेफ का सहयोग भी प्राप्त किया गया । प्रशिक्षण के दो कार्यक्रम यूनीसेफ के सहयोग से पूरे भी कर लिये गए हैं । मरम्मत का कार्य विकास खण्ड में स्थित पंचायत उद्योगों से इसलिए सम्बद्ध किया गया था ताकि अनुरक्षण कार्य पर कम से कम व्यय हो तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । यदि प्रत्येक गांव सभा में अनुरक्षण की व्यवस्था की जाती तो उसके लिए हजारों की संख्या में टूलकिट की आवश्यकता होती जो कि प्रर्याप्त धनराशि इस मद में न होने के कारण करना किसी भी प्रकार सम्भव न था । इसके अतिरिक्त यदि हैण्ड पम्पों के रख-रखाव हेतु गांव सभाओं की संख्या के आधार पर नियमित रूप से मिस्त्रियों की व्यवस्था की जाती तो उस हेतु विपुल धनराशि की आवश्यकता होती जो कि धनराशि की कमी के कारण करना सम्भव नहीं था । इसी कारण मरम्मत के कार्य को विकास खण्डों में स्थित पंचायत उद्योगों से सम्बद्ध रखा गया था । आलोच्य अवधि में पंचायती राज विभाग द्वारा 3399 खराब हुए हैण्ड पम्पों के विपरीत 3174 हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराई गई । अतः यह कहना सही नहीं है कि जल निगम द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्थापित हैण्ड पम्पों के रख-रखाव के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पंचायती राज विभाग द्वारा हैण्ड पम्पों की मरम्मत के लिए जो व्यवस्था की गई वह हैण्ड पम्पों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई क्योंकि जल निगम द्वारा प्रति वर्ष 15 से 20 हजार हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं । जल निगम के पास पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार का तकनीकी स्टाफ तथा ज्ञान उपलब्ध होने के कारण यह उचित समझा गया कि जल निगम के माध्यम से ही हैण्ड पम्पों के रख-रखाव का कार्य कराया जाये जिससे बिगड़े हुए हैण्ड पम्पों को सुधारा जा सके तथा दूसरी ओर नियमित मिस्त्रियों को रखने की समस्या का भी निदान हो जायेगा । तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1987-88 से हैण्ड पम्पों के अनुरक्षण का कार्य जल निगम को सौंप दिया गया है तथा निर्देश दे दिए गए हैं कि बिगड़े हुए हैण्ड पम्पों की मरम्मत तत्काल कराई जाये । इस हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान भी कर दिया गया है, शासन इस ओर पूर्णतः जागरूक है ।]

(घोर व्यवधान)

[लोकदल (अ) के सदस्य नारे लगाते रहे कि "किसान विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।"]

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
15 जुलाई, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 पर)

परिशिष्ट "क"

क्रम-सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा समाप्ति की तिथि	अनियमितताएं
1	2	3	4	5
1	श्री पी0 लाल	परियोजना अधिकारी।	2 जुलाई, 85	निम्न स्तर की जनता धोती क्रय की गयी।
2	श्री एस0 सुन्दरामूर्ति	उप परियोजना अधिकारी	23 जुलाई, 85	वित्तीय अनियमितताएं एवं क्रम में गड़बड़ी।
3	श्री रमेश शुक्ला	डिपो मैनजर ग्रेड-2	23 जुलाई, 85	गबन एवं वित्तीय अनियमितताएं का प्रयास
4	श्री अरविन्द नारायण सिंह	उत्पादन सहायक।	25 अप्रैल, 84	नियम को धनराशि का गबन।
5	श्री जे0पी0 शर्मा	तदैव	24 अप्रैल, 84	निगम के आदेशों की अवहेलना एवं कार्यभार न ग्रहण करना।
6	श्री तारिक हुसैन अन्सारी	तदैव	3 मई, 84	एक वर्ष से कार्य से अनुपस्थिति।
7	श्री ब्रजमोहन दुबे	उत्पादन लिपिक	3 जून, 84	क्रय में अनियमितता।
8	श्री जय प्रकाश सिंह	अटेंडेंट	15 मार्च, 84	मारपीट एवं वरिष्ठ अधिकारी से अभद्र व्यवहार।
9	श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव	तदैव	14 जून, 84	शराब पीकर कार्यालय में आकर गाली गलौज आदि।
10	श्री मूल चन्द शुक्ला	सुरक्षा गार्ड	तदैव	कार्यालय में आकर गाली-गलौज तथा हवाई फायर आदि।
11	श्री के0के0 पाण्डेय	उत्पादन अधीक्षक	10 जुलाई, 84	वित्तीय अनियमितता एवं गबन कर्तव्यहीनता।
12	श्री कैलाश बहादुर	उत्पादन पर्यवेक्षक	8 अगस्त, 84	निम्न स्तर का माल क्रय किया गया।
13	श्री प्रकाश चन्द्र मौर्या	उत्पादन निरीक्षक।	तदैव	तदैव

अपर पुस्तकालय विधान सभा

1	2	3	4	5
14	श्री बी0के0 तिवारी	उत्पादन लिपिक	तदैव	निरीक्षण के दौरान नकद एवं सूत की कमी पाई गयी।
15	श्री ओम प्रकाश मौर्या	तदैव	तदैव	तदैव
16	श्री पी0के0 निगम	उत्पादन पर्यवेक्षक	13 नवम्बर, 84	अत्यन्त निम्न स्तर की साड़ी की गयी।
17	श्री बुलाब चन्द्र मौर्या	उत्पादन निरीक्षक	तदैव	तदैव
18	श्री रामसुख मौर्या	उत्पादन सहायक	तदैव	तदैव
19	श्री राज कुमार	उत्पादन पर्यवेक्षक	फरवरी, 85	क्रय में अनियमितता।
20	श्री पी0के0 निगम	सेल्समैन	22 फरवरी, 85	कर्तव्यहीनता एवं अवांछनीय आचरण।
21	श्री जेड0एच0 सिद्दीकी	उत्पादन सहायक	23 जुलाई, 85	क्रय में अनियमितता।
22	श्री इक्तखारुल हक	उत्पादन अधीक्षक	तदैव	क्रय किया उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक का माल निम्न स्तर का होने के कारण एवं पावरलूम निर्मित वस्त्र का क्रय।
23	श्री वी0पी0 त्रिपाठी	उत्पादन पर्यवेक्षक	तदैव	तदैव
24	श्री पंचम	उत्पादन लिपिक	तदैव	तदैव
25	श्री के0एस0 मौर्या	उत्पादन अधीक्षक	तदैव	तदैव
26	श्री सगीर अहमद	उत्पादन सहायक	15 अक्तूबर, 85	क्रय किए गए उत्पादन का 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत निम्न स्तर का माल पाया जाना।
27	श्री मुखराम यादव	उत्पादन अधीक्षक	तदैव	तदैव
28	श्री राम प्रसाद	उत्पादन पर्यवेक्षक	तदैव	तदैव
29	श्री के0एन0 यादव	उत्पादन सहायक	तदैव	पावरलूम का माल खरीदना एवं स्टाक में हेराफेरी।

पी0एस0यू0पी0—एल0182 वि0सभा (324)—1987—813 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा